सप्तदश

बिहार विधान सभा

द्वितीय सत्र

तारांकित प्रश्न

वर्ग-4

वृहस्पतिवार, तिथि 27 फाल्गुन, 1942 (श०)
18 मार्च, 2021 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या 184

(1)	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	18
(2)	नगर विकास एवं आवास विभाग	71
(3)	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	48
(4)	कृषि विभाग	20
(5)	पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	11
(6)	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	12
(7)	सहकारिता विभाग	04
	कुल योग --	184

Optimized by www.ImageOptimizer.net

औचित्य बतलाना

'क'-*321. श्री अरूण शंकर प्रसाद (क्षेत्र संख्या-33 खजौली)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत बासोपट्टी प्रखंड के कटैया पंचायत अन्तर्गत महथौर कटैया में मिनी ग्रामीण जलापूर्ति योजना के तहत वर्ष 2012-13 में 25 लाख की लागत से जलापूर्ति योजना का कार्य प्रारंभ किया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त योजना के तहत बोरिंग, छिद्रण एवं जलापूर्ति टैंक के निर्माण के उपरान्त शेष कार्य अभी अधूरा पड़ा हुआ है, जिसके कारण 2000 की आबादी स्वच्छ पेयजल से वंचित है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो उक्त योजना के पूर्ण नहीं होने का क्या औचित्य है ?

नाला का निर्माण

'ख'-*966. श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन (क्षेत्र संख्या-133 समस्तीपुर)--क्या मंत्री, नगर विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर नगर परिषद् क्षेत्र के वार्ड नम्बर 01, 02, 03 एवं 09 के क्षेत्रों में खासकर बरसात के दिनों में भारी जल-जमाव हो जाता है, जिसके कारण घरों का डिसचार्ज वाटर और वर्षा का पानी लोगों के घरों में प्रवेश कर जाता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त वार्डों में जल-जमाव से निजात दिलाने के लिये भोला टॉकीज के निकट (सड़क के दूसरी ओर) बिहार व्यापार, अनसुईया ट्रेडर्स, दादर होते हुये गुरूकुल, हाईयर सेकेन्डरी स्कूल से आगे बाहा तक जानेवाली सड़क के किनारे आर0 सी0 सी0 नाला का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

सड़क निर्माण कराना

*2433. श्री नीतीश मिश्रा (क्षेत्र संख्या-38 झंझारपुर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत झंझारपुर नगर पंचायत में वार्ड नम्बर 14, 15 एवं 16 में स्थित "आर0 डब्लयू0 डी0 सड़क से (लाल पटवा गाछी) भाया बेलाराही होते हुये चन्द्रमोहन दास के घर की ओर जानेवाली सड़क का निर्माण कार्य अवशेष राशि 67,75,600 रुपया आवंटन के अभाव में अधूरा पड़ा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त अवशेष राशि उपलब्ध कराकर सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण करना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि वर्णित सड़क के निर्माण हेतु विभागीय राज्यादेश संख्या 250, दिनांक 11 फरवरी, 2021 द्वारा योजना के देनदारी की अवशेष राशि रु0 67,75,600 लाख (सड़सठ लाख पचहत्तर हजार छः सौ) नगर परिषद्, मधुबनी को स्वीकृत किया जा चुका है ।

नोट--'क'-पंचायती राज विभाग से लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में स्थानान्तरित ।

'ख'-दिनांक 4 मार्च, 2021 को सदन द्वारा स्थगित ।

अनाज वितरण कराना

*2434. श्री अरूण कुमार सिन्हा (क्षेत्र संख्या-183 कुम्हरार)--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि लखीसराय जिले के बड़हिया प्रखंड में खाद्य सुरक्षा के तहत अनाज का वितरण निर्धारित समय पर नहीं होने से बी0पी0एल0/ए0पी0एल0 कार्डधारी काफी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त प्रखंड में अनाज वितरण प्रत्येक माह कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

दोषी पर कार्रवाई

*2435. श्री सिद्धार्थ सौरव (क्षेत्र संख्या-191 विक्रम)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत विक्रम नगर पंचायत में वर्ष 2013-14 में तात्कालिक कार्यपालक अभियंता एवं अध्यक्ष नगर पंचायत द्वारा वेतनमान एवं संविदा पर करीब 12 लोगों को विभिन्न पदों पर अवैध तरीके से नियुक्त किया गया है, जो बिहार विज्ञापन नीति, 2008 का उल्लंघन है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त वर्णित नगर पंचायत में अवैध तरीके से नियुक्त कर्मियों को छटनीग्रस्त करने के साथ दोषियों पर कबतक कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

आवास उपलब्ध कराना

*2436. श्री अख्तारूल इस्लाम शाहीन (क्षेत्र संख्या-133 समस्तीपुर)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत प्रखंड समस्तीपुर के ग्राम-चकहुसैन (पोखरैड़ा) से बुढ़ी गंडक नदी के दाये तटबंध होते हुये रहमतपुर, चकनुर, काजीचक, धरमपुर होते हुये मगरदही घाट पुल तक बाईपास सड़क का निर्माण कार्य हो रहा है, जिसके कारण तटबंध के दोनों किनारे बसे भूमिहीनों का घर उजाड़ दिया गया है, जिससे लोग बेघर हो चुके है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त भूमिहीन और बेघर हो चुके लोगों को आवासीय भूमि उपलब्ध कराकर पर्चा दिलाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कोल्ड स्टोर का निर्माण

*2437. श्री भारत भूषण मंडल (क्षेत्र संख्या-40 लौकहा)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला के फुलपरास, लौकही तथा खुटौना प्रखंड मुख्यालय में कोल्ड स्टोर का निर्माण नहीं कराया गया है जिसके कारण वहाँ के किसानों को फसल उत्पाद तथा सब्जी उत्पादकों के भंडारण का लाभ नहीं मिल पाता है, यदि हाँ, तो सरकार ऊपर वर्णित प्रखंड मुख्यालय में कबतक कोल्ड स्टोर का निर्माण कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि कृषि विभाग द्वारा केल्ड स्टोरेज का निर्माण नहीं किया जाता है । बल्कि कोई निवेशक/उद्यमी/कृषक/कृषक समूह कोल्ड स्टोरेज का निर्माण कराना चाहता है तो उसे राष्ट्रीय बागवानी मिशन/मुख्यमंत्री बागवानी मिशन के क्रेडिट लिंक्ड बैंक इण्डेड सब्सिडी के तहत अनुमानित लागत @ Rs. 8,000/MT अधिकतम मिट्रिक टन रुपये 400 लाख रुपये समन्वित उद्यानिक विकास मिशन द्वारा 35 प्रतिशत अधिकतम 140 लाख रुपये तक की सहायतानुदान उपलब्ध करायी जा सकती है ।

अतएव अगर कोई निवेशक/उद्यमी/कृषक समूह/कृषक उक्त क्षेत्र में फल एवं सब्जी भंडारण हेतु कोल्ड स्टोरेज का निर्माण कराना चाहता है तो राज्य सरकार द्वारा प्राथमिकता के आधार पर अनुज्ञप्ति की स्वीकृति एवं सहायतानुदान प्रदान की जायेगी ।

बस पड़ाव का निर्माण

*2438. श्रीमती रेखा देवी (क्षेत्र संख्या-189 मसौढ़ी)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत नगर परिषद् मसौढ़ी में बस पड़ाव नहीं रहने के कारण जाम की समस्या हमेशा बनी रहती है, जबकि नगर परिषद् में जमीन भी उपलब्ध है, यदि हाँ, तो सरकार नगर परिषद् मसौढ़ी में कबतक बस पड़ाव का निर्माण कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--आंशिक स्वीकारात्मक है । कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, मसौढ़ी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मसौढ़ी बस पड़ाव के निर्माण हेतु, अंचलाधिकारी, मसौढ़ी से भूमि के लिए अनुरोध किया गया था, जिसके आलोक में अंचलाधिकारी मसौढ़ी के पत्रांक 244, दिनांक 6 फरवरी, 2021 द्वारा बस पड़ाव के निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि मौजा-मसौढ़ी, थाना नं0-144 खाता-171, खेसरा संख्या-234, रकबा-66 डी0, किस्म-गैर-मजरूआ आम उपलब्ध कराया गया है । वर्तमान में अंचलाधिकारी, मसौढ़ी से प्रस्तावित भूमि का अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ भूमि के हस्तांतरण हेतु अनुरोध किया गया है ।

अनापत्ति के साथ भूमि हस्तांतरण होने पर नगर परिषद्, मसौढ़ी को उपलब्ध राशि के आधार पर बस पड़ाव निर्माण कार्य से संबंधित कार्रवाई करने पर विचार किया जा सकेगा ।

दर्जा दिलाना

*2439. श्री कृष्णनन्दन पासवान (क्षेत्र संख्या-13 हरसिद्धि)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला अन्तर्गत हरसिद्धि बाजार की जनसंख्या-18000 (अठारह हजार) पार कर चुकी है तथा नगर पंचायत का दर्जा प्राप्त करने की सभी अर्हता पूरी करता है, यदि हाँ, तो सरकार हरसिद्धि बाजार को नगर पंचायत का दर्जा देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

राशन कार्ड बनवाना

*2440. श्री बच्चा पाण्डेय (क्षेत्र संख्या-110 बड़हरिया)--क्या मंत्री, खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीवान जिलान्तर्गत बड़हरिया एवं पंचरूखी प्रखंड में 20 हजार गरीब परिवारों के नाम से राशन कार्ड बनाने हेतु जून, 2020 में उक्त प्रखण्ड में आवेदन जमा करने के बावजूद राशन कार्ड नहीं बना है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त प्रखंडों में सर्वेक्षण कराकर 20 हजार परिवारों के लोगों का राशन कार्ड बनवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

Optimized by www.ImageOptimizer.net

प्रभारी मंत्री--अस्वीकारात्मक । जिला पदाधिकारी, सीवान के पत्रांक 244, दिनांक 9 मार्च, 2021 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए प्रतिवेदित किया गया है कि जून, 2020 से अबतक लोक सेवा के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत बड़हरिया प्रखंड में कुल 9870 एवं पचरूखी प्रखंड में 7790 आवेदन पत्र प्राप्त हुए, जिसमें से बड़हरिया प्रखंड में जाँचोपरांत 3669 एवं पचरूखी प्रखंड में 1618 राशन कार्ड निर्गत किये गये हैं। शेष आवेदन-पत्र नियमानुसार जाँचोपरान्त अस्वीकृत किये गये हैं।

नया राशन कार्ड बनाने हेतु लोक सेवा के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रखंड स्तर पर प्राप्त आवेदन का जाँचोपरान्त पात्र आवेदकों (लाभुकों) को राशन कार्ड बनाया जा रहा है। यह प्रक्रिया सतत् जारी है।

दवा का छिड़काव

*2441. श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव (क्षेत्र संख्या-17 पिपरा)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के मेहसी देश एवं विदेश में लीची उत्पादन के लिए मशहूर है एवं यहाँ 11 हजार हेक्टेयर में लीची का बगान है लेकिन 5 सालों से लीची स्टिंग बग कीट लगने से किसान परेशान है और अबतक इस पर काबू नहीं पाया गया है, जिससे किसानों को आर्थिक क्षति हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार पूरे मेहसी परिक्षेत्र में लीची स्टिंग बग किट नियंत्रण हेतु कीटनाशक दवा छिड़काव कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पी0 सी0 सी0 कराना

*2442. श्री राम प्रवेश राय (क्षेत्र संख्या-100 बरौली)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत नगर परिषद्, बरौली के वार्ड सं0 07 एवं 08 में मांझा बरौली पथ-शिव मंदिर से भड़कुइयाँ मठ एवं शिव मंदिर भड़कुइयाँ तिवारी टोला होते हुए खजुरिया बरौली पथ तक जाने वाली सड़क बिल्कुल जर्जर स्थिति में है, यदि हाँ, तो क्या सरकार बरौली नगर परिषद् की उक्त सड़क का पी0 सी0 सी0 कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

Optimized by www.ImageOptimizer.net

सेवा नियमित कराना

*2443. श्री महानंद सिंह (क्षेत्र संख्या-214 अरवल)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में जिला उप-सम्वर्ग अंतर्गत वर्ष 2012 से ही संविदा पर अमीन कार्यरत है यदि हाँ, तो क्या सरकार सभी संविदा अमीन की सेवा कार्यानुभव के आधार पर कबतक सेवा नियमित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री-- स्वीकारात्मक । संविदा अमीन की सेवा कार्यानुभव के आधार पर सेवा नियमित करने के संबंध में वस्तुस्थिति यह है कि सामान्य प्रशासन विभाग बिहार, पटना के संकल्प संख्या 12534/सा०, दिनांक 17 सितम्बर, 2018 द्वारा संविदा नियोजित कर्मियों की सेवा संबंधी बिन्दुओं के संबंध में गठित उच्चस्तरीय समिति की अनुशंसाओं को लागू किया गया है, जिसमें प्रावधानित है कि संविदा कर्मियों की नियुक्ति पूरी तरह अस्थायी है साथ ही संकल्प संख्या 1003/पटना, दिनांक 22 जनवरी, 2021 में रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति किये जाने के क्रम में उन पदों पर कार्यरत संविदा कर्मियों को नियमित नियुक्ति में अधिमानता (Weightage) का प्रावधान किया गया है ।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत 1767 रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु अधियाचना बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, बिहार, पटना को भेजी गयी है, जिसमें पूर्व से ही बिहार अमीन संवर्ग नियमावली 2013 (समय-समय पर यथा संशोधित) में अधिमानता का प्रावधान करते हुये संविदा पर नियोजित अमीन को कार्यानुभव के आधार पर अधिमानता (Weightage) दिया गया है । स्पष्ट है कि संविदा पर कार्यरत अमीन की सेवा कार्यानुभव के आधार पर नियमित करने का कोई प्रावधान नहीं है, बल्कि रिक्त पदों के विरुद्ध नियमित नियुक्ति में कार्यानुभव के आधार पर अधिमानता का प्रावधान किया गया है, जिसका लाभ 1767 पदों पर अमीन की प्रक्रियाधीन नियमित नियुक्ति में संविदा अमीन को दिया गया है ।

औचित्य बतलाना

*2444. श्री पंकज कुमार मिश्र (क्षेत्र संख्या-29 रून्नीसैदपुर)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिले के बीजगुणन प्रक्षेत्र बलहा पुपरी सीतामढ़ी में आम सड़क हेतु भूमि उपलब्ध कराने के संबंध में कार्यालय संयुक्त निदेशक (शष्य) तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के पत्रांक 822, दिनांक 17 मई, 2016 के द्वारा जिला कृषि पदाधिकारी, सीतामढ़ी, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी सीतामढ़ी (पूर्वी) को पत्र प्रेषित किया गया था, परंतु अबतक कोई कार्रवाई नहीं किया गया है, जबकि उक्त प्रक्षेत्र में आम रास्ता हेतु जमीन उपलब्ध है, यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है ?

कैंप बनाना

*2445. श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या-09 सिकटा)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पश्चिम चंपारण जिला के बगहा-2 प्रखंड के वाल्मिकीनगर में बी० एम० पी० की महिला शाखा का स्थापना हेतु सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बिगहा-2 के अंचल अधिकारी द्वारा दिनांक 6 जून, 2019 को जारी नोटिस द्वारा महिला स्वाभिमान बटालियन बी० एम० पी० की स्थापना हेतु बिना वैकल्पिक व्यवस्था किये सैकड़ों परिवारो को वाल्मिकीनगर से हटकर कहीं अन्य जगह जाने के लिये नोटिस थमा दिया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त घनी आबादी वाले वाल्मिकीनगर की भूमि को छोड़ कर खाली व विरल बसावट वाली भूमि पर उक्त कैंप बनाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

औचित्य बतलाना

*2446. श्री ऋषि कुमार (क्षेत्र संख्या-220 ओबरा)--क्या मंत्री, खाद्य उपभोक्ता एवं संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा कोविड-19 काल में प्रवासी मजूदरों को खाद्य सुरक्षा योजना के तहत सरकारी दर पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के प्रावधान के विरुद्ध औरंगाबाद जिलान्तर्गत ओबरा प्रखंड स्थित ग्राम पंचायत-महुआव के ग्राम-कैथी, टोला-मंगरू बिगहा के 200 प्रवासी मजदूर परिवारों को विभागीय पदाधिकारियों की लापरवही से उक्त वर्णित योजना के लाभ से वंचित किये जाने का क्या औचित्य है ?

प्रभारी मंत्री--अस्वीकारात्मक । खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पत्रांक 2152, दिनांक 21 मई, 2020 से वैसे प्रवासी मजदूर जो NFSA के तहत आच्छादित नहीं है अर्थात जिनका राशन कार्ड नहीं है तथा विभागीय पत्रांक 2201, दिनांक 27 मई, 2020 द्वारा वैसे सभी व्यक्ति जिनके पास किसी प्रकार का राशन कार्ड नहीं है को आत्म निर्भर भारत योजना के अन्तर्गत मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया था । तदालोक में जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद के पत्रांक 146/आ०, दिनांक 4 मार्च, 2021 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये प्रतिवेदित किया गया है कि प्रति प्रवासी मजदूर को मुफ्त खाद्यान्न माह मई 2020 से माह जून, 2020 तक आपूर्ति की गई है । ग्राम पंचायत महुआँव के जन-वितरण प्रणाली बिक्रेता श्री रामदीप सिंह, अनुज्ञप्ति सं० 02/O/1986 द्वारा विभागीय निदेश के आलोक में पात्रता रखने वाले कुल 137 (एक सौ सैंतीस) परिवार से संबंधित 755 (सात सौ पचपन) इकाई को मुफ्त चावल एवं 01 किलो प्रति परिवार की दर से 137 (एक सौ सैंतीस) परिवारों को मुफ्त चना की आपूर्ति की गयी है ।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सरकारी दर पर उपलब्ध कराये गये खाद्यान्न के अतिरिक्त प्रश्नगत प्रखंड (ओबरा) के सभी पात्र लाभुकों का माह अप्रैल से नवम्बर, 2020 तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनान्तर्गत मुफ्त खाद्यान्न भी उपलब्ध कराया गया है ।

पदस्थापित करना

*2447. श्री सुधाकर सिंह (क्षेत्र संख्या-203 रामगढ़)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कैमूर जिला के बिहार राज्य बीज निगम कुदरा में सेवा निवृत्त कर्मचारियों को पुनर्नियोजन पर रखा जा रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार बिहार राज्य बीज निगम, कुदरा में नियमित सेवा के लोगों को पदस्थापित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नाले की सफाई

*2448. श्री अशोक कुमार (क्षेत्र संख्या-132 वारिसनगर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं अवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बोरिंग रोड में ए० एन० कॉलेज के सामने राजेश पेट्रोल पंप के बगल से गुजर रहे अंडरग्राउंड सीवरेज नाले में आधे से अधिक गहराई तक कचरा, गंदगी के भर जाने की वजह से विवेकानंद पथ के इलाके में कई घरों एवं इनके परिसरों में कई दिनों तक गंदे पानी जमें रहने के वजह से लोगों को नारकीय हालात का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार दो महीनों में इस सीवरेज नाले से गंदगी/कचरे को निकाल कर इसकी पूर्णरूपेण सफाई करा लेने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

मुआवजा निर्धारित करना

*2449. श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी (क्षेत्र संख्या-200 बक्सर)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बक्सर जिला के बक्सर प्रखण्ड में NH-84 के निर्माण हेतु उक्त प्रखण्ड के मौजा-जासो, थाना संख्या 330 खाता संख्या 40 खेसरा सं० 30 रकवा 0.774 डी० जमीन का अधिग्रहण किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि भारत के राजपत्र के अधिसूचना में उक्त जमीन को व्यावसायिक रूप में अधिसूचित किया गया है ;

(3) क्या यह बात सही है कि उक्त जमीन के प्रथम किस्त का मुआवजा व्यावसायिक रूप में किया गया है, परन्तु मुआवजा के द्वितीय किस्त के भुगतान के पूर्व समाहरणालय, बक्सर द्वारा उक्त जमीन का प्रकार व्यावसायिक से बदलकर आवासीय कर दिया है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त भूमि के द्वितीय किस्त का मुआवजा व्यावसायिक प्रकार के भूमि के अनुरूप करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*2450. श्री अशोक कुमार चौधरी (क्षेत्र संख्या-92 सकरा)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिला के सकरा प्रखंड का प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय जगदीशपुर, भवनगरी पंचायत भवन में संचालित हो रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार पशु चिकित्सालय, सकरा के लिये भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

नियमित सफाई करवाना

*2451. श्री विश्वनाथ राम (क्षेत्र संख्या-202 राजपुर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना जिला के पुनाईचक में वार्ड नं० 20 रोड नं०10 क्वार्टर नं० सी०/77 के पास सब्जी विक्रेता सड़ा हुआ सब्जी रात में फेंक देते है, जिससे बाहर गंदगी का अम्बार लग गया है तथा दुर्गंध फैलने से लोगों को काफी परेशानी होती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त स्थान पर नगर निगम द्वारा कुड़ा एवं गंदगी की सफाई नियमित रूप से नहीं की जाती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उस स्थान से कुड़ा फेकने वालों को रोकने एवं सफाई कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पुनर्वासित कराना

*2452. श्री अजीत शर्मा (क्षेत्र संख्या-156 भागलपुर)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर नगर निगम क्षेत्र में वार्ड नं० 1 से 51 तक के विभिन्न वार्डों में 1050 गरीब विस्थापितों को 5 डिसमील जमीन उपलब्ध कराकर वर्ष 2016 से ही पुनर्वासित करना था, लेकिन अभीतक उक्त विस्थापित गरीब परिवारों को 5 डिसमील जमीन उपलब्ध नहीं करायी गयी है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त वार्डों के विस्थापित गरीब परिवारों को 5 डिसमील जमीन उपलब्ध कराते हुये पुनर्वासित कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

तालाब की सफाई

*2453. श्री विजय कुमार मंडल (क्षेत्र संख्या-210 दिनारा)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बक्सर जिला के डुमराँव प्रखंड अन्तर्गत शहीद मेन रोड में सूरत राय नाम का सरकारी तालाब जो 2.00 एकड़ में अवस्थित है, जहाँ पर छठ पर्व के समय हजारों महिलाएँ छठ पर्व करती है, तालाब में घाट नहीं होने एवं तालाब गंदा रहने के कारण महिलाओं को काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार तालाब की सफाई एवं तालाब किनारे सीढ़ीनुमा घाट बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सूची से बाहर करना

*2454. श्री रामबली सिंह यादव (क्षेत्र संख्या-217 घोसी)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि जहानाबाद जिला के प्रखंड घोसी के मोईउद्दिनगर, गोलकपुर तथा अहियासा और प्रखंड काकों के बीबीपुर को छोड़कर पूर्वी काको पंचायत को नगर निकाय बनाया जा रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि घोसी और काको प्रखण्ड का 85 प्रतिशत से ज्यादा क्षेत्रफल कृषि का क्षेत्र हैं जबकि नगर निकाय बनाने के लिये हुये सर्वे में 35 प्रतिशत क्षेत्र को कृषि क्षेत्र बताया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पूर्वी काको पंचायत को नगर निकाय की सूची से बाहर करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

मुआवजा दिलाना

*2455. श्री भाई वीरेन्द्र (क्षेत्र संख्या-187 मनेर)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना रिंग रोड निर्माण परियोजना में अर्जित किये जाने वाले भूमि के प्रकार का भारत सरकार के राजपत्र के अधिसूचना में अधिसूचित किया गया है जिसके विरुद्ध पटना जिलान्तर्गत मनेर प्रखंड स्थित शेरपुर एवं खाशपुर मौजा, थाना संख्या क्रमशः 93, 94 में पटना जिला भू-अर्जन कार्यालय द्वारा व्यावसायिक भूमि को आवासीय, आवसीय को कृषि योग्य मानकर भू-स्वामियों को मुआवजा राशि का भुगतान किया जा रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार परियोजना में अर्जित किये गये भूमि का भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना में अधिसूचित किये गये भूमि के प्रकार के अनुरूप भू-स्वामियों को मुआवजा राशि का भुगतान करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

दोषी पर कार्रवाई

*2456. श्री विनय कुमार (क्षेत्र संख्या-225 गुरूआ)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि गया जिला के गुरूआ विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत राजन, गुरूआ, पकरी, नदौरा, मंडा एवं पलुहारा में सात निश्चय योजना के तहत हर घर नल-जल योजना का कार्य विगत 3 वर्षों से धीमी गति से कराये जाने के चलते कार्य अधूरा पड़ा है, जिससे उक्त वर्णित स्थानों के लोग शुद्ध पेयजल से वंचित है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त वर्णित स्थानों पर समय-सीमा के अन्दर अर्द्धनिर्मित कार्य को पूर्ण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रतिनियुक्ति कराना

*2457. श्री राकेश कुमार रौशन (क्षेत्र संख्या-174 इस्लामपुर)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिला के इस्लामपुर प्रखंड के सकरी एवं बरडीह पंचायत तथा एंकगर प्रखंड के तेलहाड़ा एवं नारायणपुर पंचायत में राजस्व कर्मचारी एवं डाटा इंट्री ऑपरेटर के अभाव में आम आदमी का कार्य पिछले तीन वर्षों से बाधित है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त प्रखंडों के पंचायतों में कबतक राजस्व कर्मचारी एवं डाटा इंट्री ऑपरेटर को प्रतिनियुक्ति कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

शौचालय का निर्माण

*2458. श्री अजीत कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-201 डुमराँव)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बक्सर जिले के डुमराँव नगर परिषद् कार्यालय पर आने वाले आमजनों के लिये शौचालय की व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण नगर परिषद् कार्यालय आने वाले पुरूषों-महिलाओं को कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार डुमराँव नगर परिषद् कार्यालय पर आमजनों के लिये शौचालय निर्माण करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--अस्वीकारात्मक । नगर परिषद् डुमराँव कार्यालय में आने वाले आमजनों के लिये शौचालय की व्यवस्था पूर्व से उपलब्ध है । विदित हो कि नगर परिषद् कार्यालय के नीचे नगर भवन स्थित है, जिसमें दो शौचालय एवं यूरिनल है तथा नगर परिषद् कार्यालय में भी एक शौचालय उपलब्ध है । उक्त सभी शौचालय कार्यालय में आने वाले आमजनों के लिये कार्यालय अवधि में प्रतिदिन खुला रहता है साथ ही कार्यालय कैम्पस में ही एनजी इन्टरनेशनल सुलभ शौचालय (भुगतान एवं उपयोग) स्थित है तथा नगर परिषद् क्षेत्रान्तर्गत डीलक्स शौचालय बनवाने हेतु EOI आमंत्रित किया गया है ।

अन्यत्र बसाना

*2459. डॉ0 संजीव चौरसिया (क्षेत्र संख्या-181 दीघा)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना नगर निगम के अन्तर्गत आने वाले स्लम बस्ती जिसे हटाया जा चुका है या हटाने की प्रक्रिया में है, वैसे स्लमवासियों के नाम से बिजली कनेक्शन है, राशन कार्ड है तथा सरकार की अन्य योजनाओं का लाभ भी उन्हें मिल रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सरकार ने मलीन बस्ती कानून बनाया है जिसमें एक साथ बीस झोपड़ी होने पर उसे मलीन बस्ती करार दिया गया है जिसे विस्थापित करने से पूर्व कहीं स्थापित करने का प्रावधान है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पटना नगर निगम के अन्तर्गत आने वाले स्लम बस्ती वासियों को जिसे हटाया जा चुका है या हटाने की प्रक्रिया में है, वैस स्लम बस्ती वासियों को विस्थापित करने से पूर्व कहीं स्थापित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

दोषी पर कार्रवाई

*2460. डॉ0 रामानुज प्रसाद (क्षेत्र संख्या-122 सोनपुर)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि हिलसा अनुमंडल में वर्ष 2018 में प्राकृतिक आपदा आने पर अनुमंडल पदाधिकारी, हिलसा के पत्रांक 576, दिनांक 25 अक्टूबर, 2018 एवं पत्रांक 277, दिनांक 8 जून, 2018 के द्वारा हिलसा प्रखंड के ग्राम-टांड़ के विधवा गीता देवी के घर के पास एवं अन्य स्थानों पर आपदा प्रभावित परिवारों के घर के पास चापाकल लगाने का आदेश दिया गया था, परंतु उक्त आदेश का अनुपालन न कर अन्यत्र स्थानों पर चापाकल लगा दिया गया है, यदि हाँ, तो सरकार इसकी जाँच कराकर दोषी पर कार्रवाई करते हुये उक्त विभागीय आदेशानुसार चापाकल लगाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि अनुमंडल पदाधिकारी, हिलसा द्वारा उनके पत्रांक 576/विकास, दिनांक 25 अक्टूबर, 2018 के माध्यम से माननीय पूर्व स0वि0प0, डॉ0 उपेन्द्र प्रसाद द्वारा अनुशंसित 14 अदद् चापाकल निर्माण हेतु सूची नियमानुसार कार्रवाई हेतु पत्र दी गई, जिसमें हिलसा प्रखंड अन्तर्गत 8 अदद् तथा एकंगरसराय प्रखंड में 6 अदद् चापाकल निर्माण की अनुशंसा थी ।

Optimized by www.ImageOptimizer.net

साथ ही अनुमंडल पदाधिकारी, हिलसा के पत्रांक 277/विकास, दिनांक 8 जून, 2018 द्वारा श्रीमती शोभा कुमारी, पति-स्व0 मंटु कुमार, ग्राम-नारायणपुर, कपसियावाँ के निकट चापाकल निर्माण का अनुरोध-पत्र संलग्न कर नियमानुसार कार्रवाई हेतु पत्र प्राप्त हुआ था ।

अनुमंडल पदाधिकारी, हिलसा के वर्णित-पत्र में संलग्न चापाकल निर्माण की सूची की जाँच कराई गई एवं पाया गया कि इन स्थलों पर विभागीय मापदंडों के अनुरूप पेयजल की कोई समस्या नहीं है ।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में आपदा प्रभावित क्षेत्रों में हिलसा प्रमंडल को विभागीय पत्रांक 6/ए0यो0-1013/2018-334 (आ0), दिनांक 5 दिसम्बर, 2018 के द्वारा 75 अदद् चापाकल निर्माण का लक्ष्य था जिसे विभागीय निदेश के आलोक में भीषण जल संकट प्रभावित क्षेत्रों/टोलों में जहाँ टैंकर के माध्यम से जलापूर्ति की उपलब्धता कराई गई वैसे टोलों को प्राथमिकता के आधार पर चिह्नित कर 75 अदद् चापाकल निर्माण पूर्ण कर ली गई है । निर्मित 75 अदद् चापाकल में हिलसा में 21 अदद्, करायपरशुराय में 21 अदद्, थरथरी प्रखंड में 2 अदद्, परवलपुर प्रखंड में 6 अदद्, इस्लामपुर प्रखंड में 13 अदद्, एकंगरसराय प्रखंड में 12 अदद् चापाकलों का निर्माण कराया गया है । इस प्रकार आपदा मद में चापाकलों का निर्माण विभागीय मापदंड के अनुसार किया गया है ।

दोषी पर कार्रवाई

*2461. श्री छोटे लाल राय (क्षेत्र संख्या-121 परसा)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत प्रखंड दरियापुर एवं परसा में किसानों के फसलों में हुये नुकसान का मुआवजा इनपुट प्रणाली से किसानों के खाता में डाला जाता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त प्रखंड के कृषि सलाहकार द्वारा बिना जमीन वाले किसानों से पैसा लेकर बिना जाँच किये इनके फसलों के नुकसान से संबंधित रिपोर्ट दिये जाने के कारण इन किसानों को भी फसल नुकसान का मुआवजा मिल जाता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इसकी जाँच कराकर दोषी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

राशन कार्ड बनवाना

*2462. श्रीमती गायत्री देवी (क्षेत्र संख्या-25 परिहार)--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के परिहार प्रखंड मुख्यालय के आर0टी0पी0एस0 काउंटर पर राशन कार्ड बनवाने हेतु आवेदन नहीं लिया जा रहा हैं, जिसके कारण गरीब परिवारों को काफी कठिनाई हो रही है तथा इस संबंध में जिलाधिकारी, सीतामढ़ी से शिकायत की गयी है, यदि हाँ, तो क्या सरकार परिहार प्रखंड के गरीब परिवारों का राशन कार्ड बनवाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--अस्वीकारात्मक । जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी के पत्रांक 101/जि0आ0, दिनांक 5 मार्च, 2021 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये प्रतिवेदित किया गया है कि परिहार प्रखंड में आर0टी0पी0एस0 काउंटर पर राशन कार्ड आवेदन लिया जा रहा है । अबतक कुल 3140 आवेदन आर0टी0पी0एस0 काउंटर पर प्राप्त किया जा चुका है । कुल 1940 आवेदनों का निष्पादन किया जा चुका है । शेष 1200 आवेदन पंचायत स्तर पर जाँच के प्रक्रियाधीन है । जाँचोपरान्त समय-सीमा के अन्दर इसका निष्पादन कर दिया जायेगा ।

Optimized by www.ImageOptimizer.net

प्रतिनियुक्ति कराना

*2463. श्री शकील अहमद खाँ (क्षेत्र संख्या-64 कदवा)--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के 38 जिलों में बिहार राज्य खाद्य निगम के जिला प्रबंधक का एक-एक पद स्वीकृत है ;

(2) क्या यह बात सही है कि कटिहार तथा अररिया सहित राज्य के दर्जनों जिलों में खाद्य निगम के जिला प्रबंधक के पद पर स्थायी रूप से पदाधिकारी के पदस्थापित नहीं रहने के कारण उक्त जिलों में अनाज के उठाव तथा वितरण में काफी कठिनाई होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त जिला सहित राज्य के अन्य जिलों में बिहार राज्य खाद्य निगम जिला प्रबंधक के पद पर स्थायी रूप से पदाधिकारी को पदस्थापित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक ।

(2) अस्वीकारात्मक ।

(3) निगम में सहायक गोदाम प्रबंधक संवर्ग में नियुक्ति हेतु बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, पटना के पत्रांक 4960, दिनांक 9 मई, 2019 द्वारा अधियाचना बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद्, पटना को भेजी गयी है । संवर्ग में प्रोन्नति/कार्यकारी व्यवस्था के तहत स्थायी समाधान संभव होगा ।

अतिक्रमण मुक्त कराना

*2464. श्री सत्यदेव राम (क्षेत्र संख्या-107 दरौली)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत दानापुर क्षेत्र में अवस्थित ज्ञान गंगा स्कूल से गाँधी मैदान-दीघा सड़क से मिलने वाली सड़क निर्माणाधीन है जिसका अतिक्रमण के चलते यह आम सड़क बाधित हो गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार कबतक उक्त सड़क का अतिक्रमण मुक्त कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अतिक्रमण मुक्त कराना

'ग'-*2465. श्री छत्रपति यादव (क्षेत्र संख्या-149 खगड़िया)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि खगड़िया जिलान्तर्गत, खगड़िया शहर में एन0 एच0-31 बस स्टैंड एवं शहर के अन्दर बखरी बस स्टैंड में अतिक्रमण के कारण यात्रियों को असुविधा हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त बस स्टैंडों को अतिक्रण मुक्त कर सुव्यवस्थित कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्थानांतरण कराना

*2466. श्री सउद आलम (क्षेत्र संख्या-53 ठाकुरगंज)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत ठाकुरगंज प्रखंड में पदस्थापित अंचलाधिकारी दाखिल-खारिज याचिकाओं के निष्पादन में व्यापक पैमाने पर अवैध वसूली भूमि-विवाद मामलों का निष्पादन जल्द नहीं करने के साथ लोगों के जमीन संबंधी कार्यों के निपटारा में विलम्ब करते हैं । जिससे लोगों को काफी कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार इसकी जांच कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नोट--'ग'-परिवहन विभाग से नगर विकास एवं आवास विभाग में स्थानांतरित ।

बस स्टैंड का निर्माण

*2467. श्रीमती मंजु अग्रवाल (क्षेत्र संख्या-226 शेरघाटी)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिला अंतर्गत शेरघाटी प्रखंड स्थित नया बाजार बस स्टैंड की भूमि उपलब्ध होने के बावजूद अबतक बस स्टैंड का निर्माण नहीं हो पाया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उपलब्ध भूमि पर बस स्टैंड निर्माण करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

औचित्य बतलाना

*2468. श्री छत्रपति यादव (क्षेत्र संख्या-149 खगड़िया)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि खगड़िया जिलान्तर्गत राजेन्द्र चौक (बगवा चौक) से बखरी बस स्टैण्ड (स्टेशन रोड) तक शहर का मुख्य है, जो काफी जर्जर है तथा उक्त सड़क को पथ निर्माण विभाग को स्थानांतरित नहीं किये जाने के कारण निर्माण कार्य बाधित है, यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है ?

प्रभारी मंत्री-- स्वीकारात्मक है । कार्यपालिक पदाधिकारी, नगर परिषद्, खगड़िया द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वर्णित सड़क की चौड़ाई 20 फीट से अधीक होने के कारण पथ निर्माण विभाग के अधिसूचना सं0 1548, दिनांक 25 फरवरी, 2020 के आलोक में वर्णित सड़क के उन्नयन एवं रख-रखाव हेतु जिला पदाधिकारी, खगड़िया के अनुमोदनोपरान्त पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित किया जा चुका है। अतः वर्णित पथ का निर्माण पथ निर्माण विभाग द्वारा कराया जायेगा ।

सड़क का निर्माण

*2469. श्री रित लाल राय (क्षेत्र संख्या-186 दानापुर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत दानापुर प्रखंड के रूपसपुर हरिजन टोली वार्ड सं0-03 में प्राथमिक विद्यालय, रूपसपुर हरिजन टोली से जालिम दास के मकान तक की सड़क काफी जर्जर रहने के कारण जल-जमाव की समस्या के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त सड़क का जीर्णोद्धार एवं जल निकासी हेतु नाला का निर्माण कराने का बिचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

Optimized by www.ImageOptimizer.net

अतिक्रमण मुक्त कराना

*2470. डॉ० सी० एन० गुप्ता (क्षेत्र संख्या-118 छपरा)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि छपरा शहर में शिल्पी सिनेमा के पास शिल्पी पोखर में 10 वर्ष पूर्व से छठ पूजा के अवसर पर छठ पूजा होती थी लेकिन स्थानीय लोगों के द्वारा पोखर को अतिक्रमण कर भर दिया गया है तथा अतिक्रमण को मुक्त करने हेतु प्रशासन द्वारा अगस्त, 2020 में कार्रवाई की गयी थी परंतु पोखर को अतिक्रमणकारी से मुक्त नहीं कराया जा सका, यदि हाँ, तो सरकार उक्त पोखर को अतिक्रमण से मुक्त कराने एवं पोखर की सफाई तथा सीढ़ीनुमा घाट बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--आंशिक स्वीकारात्मक है । नगर आयुक्त, नगर निगम, छपरा द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वर्णित पोखर को जिला प्रशासन के सहयोग से अतिक्रमण मुक्त करा दिया गया है । वर्तमान में कोई अतिक्रमण नहीं है । पोखरा के तीन तरफ पश्चिम, उत्तर एवं दक्षिण के तरफ नगर निगम, छपरा द्वारा पूर्व से ही दुकान निर्मित कराये गये हैं । वर्तमान में शिल्पी पोखर का जीर्णोद्धार कार्य जल-जीवन-हरियाली योजना के अन्तर्गत कराया जा रहा है ।

औचित्य बतलाना

*2471. श्री जितेन्द्र कुमार (क्षेत्र संख्या-171 अस्थावाँ)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य में कृषि समन्वयकों के स्थानांतरण हेतु विभाग द्वारा नियमावली नहीं बनाया गया है, परंतु नालंदा जिला में जिला कृषि पदाधिकारी, नालंदा द्वारा जून, 2020 में 08 कृषि समन्वयकों का स्थानांतरण अस्थावाँ, सरमेरा सहित जिलों के अन्य प्रखंडों में किया गया है, यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है ?

प्रभारी मंत्री--स्वीकारात्मक । जिला कृषि पदाधिकारी, नालन्दा में पत्रांक 702, दिनांक 3 मार्च, 2021 द्वारा प्रतिवेदित किया है कि कार्य की महत्ता को देखते हुये 8 (आठ) कृषि समन्वयकों का स्थानान्तरण/पदस्थापन जून, 2020 में किया गया था (प्रतिलिपि संलग्न) ।

कृषि निदेशालय, के पत्रांक 162, दिनांक 24 फरवरी, 2021 द्वारा कृषि समन्वयकों के स्थानान्तरण/पदस्थापन के संबंध में दिशा-निर्देश निर्गत किया गया है (प्रतिलिपि संलग्न) । परन्तु जिला कृषि पदाधिकारी, नालन्दा के द्वारा कृषि समन्वयकों का स्थानान्तरण/पदस्थापन दिशा-निर्देश निर्गत होने के पूर्व ही कर दिया गया जो सही एवं उचित नहीं माना जा सकता है ।

इस प्रकार का मामला प्रकाश में आने पर जिला कृषि पदाधिकारी, नालन्दा से स्पष्टीकरण पूछा गया है (प्रतिलिपि संलग्न) । भविष्य में पत्रांक 162, दिनांक 24 फरवरी, 2021 के आलोक में ही कृषि समन्वयकों का स्थानान्तरण/ पदस्थापन किया जा सकेगा ।

निर्माण कराना

*2472. श्री समीर कुमार महासेठ (क्षेत्र संख्या-36 मधुबनी)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि खेलों को प्रोत्साहित करने हेतु खेलो इंडिया पार्ट-2 के लिये मधुबनी जिला में भूमि चिह्नित किया जाना है जिसके लिये जिलाधिकारी, मधुबनी द्वारा सभी अंचलाधिकारियों को तीन माह पूर्व पत्र भेजा गया है परंतु अभीतक मधुबनी विधान सभा क्षेत्र के पंडौल, मधुबनी एवं रहिका अंचल से प्रस्ताव नहीं भेजा गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त अंचल से प्रस्ताव मंगाकर खेल संरचना का निर्माण करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

Optimized by www.ImageOptimizer.net

शवदाह गृह का निर्माण

*2473. श्री विजय कुमार खेमका (क्षेत्र संख्या-62 पूर्णियाँ)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ नगर निगम क्षेत्र में एक विद्युत् शवदाह गृह नहीं रहने के कारण सौरा नदी के किनारे कप्तान पुल तथा गुदरा घाट बेलोरी में यहाँ के लोगों को पुराने तरीके से शव का अंतिम संस्कार करना पड़ता है, जबकि विद्युत् शवदाह गृह निर्माण हेतु जमीन भी उपलब्ध है, यदि हाँ, तो सरकार पूर्णियाँ नगर निगम क्षेत्र के उक्त दोनों घाट पर पर्यावरण सुरक्षा हेतु विद्युत् शवदाह गृह निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पदस्थापित कराना

*2474. श्री विनय बिहारी (क्षेत्र संख्या-05 लौरिया)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पश्चिम चम्पारण जिला के सौरिया एवं योगपट्टी अंचल कार्यालयों में मानक के अनुरूप कम्प्यूटर ऑपरेटर, अमीन, राजस्व कर्मचारी नहीं रहने के कारण लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त प्रखंडों में मानक के अनुरूप कम्प्यूटर ऑपरेटर, अमीन, राजस्व कर्मचारी पदस्थापित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

समायोजन करना

*2475. श्री अरूण शंकर प्रसाद (क्षेत्र संख्या-33 खजौली)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कृषि निदेशक, बिहार, पटना ने अपने पत्र संख्या 06/स्था-अन्य-134/582, दिनांक 10 सितम्बर, 2020 के द्वारा आयुक्त के सचिव, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर एवं भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों का समूह 'घ' हलधर/हलवाहा के रिक्त पदों के विरुद्ध नियुक्ति हेतु अनुमोदन का प्रस्ताव भेजा था जिसमें आपत्ति का भी निपटारा किया जा चुका है ;

(2) क्या यह बात सही है कि अभीतक उक्त हलधर/हलवाहा के रिक्त पदों के विरुद्ध नियुक्ति हेतु रोस्टर का अनुमोदन नहीं किया गया है, जिससे शिक्षा अनुदेशकों के समक्ष भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गयी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक रोस्टर का अनुमोदन कराकर शिक्षा अनुदेशकों के समायोजन का विचार रखती हैं, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री-- (1) स्वीकारात्मक ।

(2) शिक्षा अनुदेशकों का समूह 'घ' हलधर/हलवाहा पद का रोस्टर अनुमोदन प्रमंडल आयुक्त के माध्यम से किया जाना है । तिरहुत प्रमंडल मुजफ्फरपुर/भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर एवं मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर द्वारा अभीतक रोस्टकर क्लीयरेंस नहीं किया गया ।

(3) स्वीकारात्मक । प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) तिरहुत प्रमंडल मुजफ्फरपुर/भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर एवं मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर द्वारा रोस्टर अनुमोदन हेतु प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय भेजा गया है, परन्तु कतिपय आपत्ति के साथ संबंधित आयुक्त कार्यालय द्वारा वापस कर दी गई है । आपत्ति निराकरण की कार्रवाई चल रही है । जल्द ही हलधर/हलवाहा पद का रोस्टर क्लीयरेंस उपरान्त समायोजन कर ली जायेगी ।

Optimized by www.ImageOptimizer.net

अतिक्रमण मुक्त कराना

'घ'-*2476. श्री विजय कुमार (क्षेत्र संख्या-169 शेखपुरा)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिला अन्तर्गत फुलवरिया प्रखण्ड स्थित ग्राम-तुरकहा में स्व० सुखदेव यादव के घर से श्री विद्या यादव के घर तक निर्मित सड़क को ग्रामीणों द्वारा अतिक्रमण किये जाने से ग्रामीणों के साथ-साथ आमजनों को आने-जाने में कठिनाई हो रही है, इसकी लिखित शिकायत ग्रामीणों द्वारा दिनांक 12 फरवरी, 2020 को अंचलाधिकारी, फुलवरिया से किया गया है, लेकिन अबतक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुयी है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त सड़क को अतिक्रमण से मुक्त कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि समाहर्ता, गोपालगंज द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रखण्ड फुलवरिया के ग्राम तुरूकहां में स्व० सुखदेव यादव के घर से विद्या यादव के घर तक ईंट्टीकरण सड़क निर्मित है। उक्त सड़क दो खेसरा 726 के अंश भाग एवं 721 पर अवस्थित है। खेसरा 721 गैर-मजरूआ आम रास्ता भूमि है, जिस पर कोई अतिक्रमण नहीं है, खेसरा 726 गैर-मजरूआ मालिक परती कदीम भूमि है, जिस पर आंशिक अतिक्रमण पाया गया है। सक्षम न्यायालय अंचल अधिकारी, फुलवरिया के न्यायालय में अतिक्रमण वाद सं० 6/2018-19 दायर कर कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। अतिक्रमणकारियों से उनका पक्ष जानने हेतु नोटिस निर्गत है। एक माह के अन्दर प्रक्रिया पूर्ण होने पर अतिक्रमण मुक्त कर दिया जायेगा। वर्तमान में आवागमन बाधित नहीं है।

अन्तर्निकाय स्थानांतरण

*2477. श्री अजीत शर्मा (क्षेत्र संख्या-156 भागलपुर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य के नगर निकायों के कर्मियों की सेवा स्थानांतरणीय नहीं होने के कारण काम की गुणवत्ता प्रभावित होने के साथ-साथ प्रगति बहुत ही धीमी रहती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक नगर निकाय के कर्मियों की सेवा को अंतर निकाय स्थानांतरणीय बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सड़क का पक्कीकरण

*2478. श्री गोपाल रविदास (क्षेत्र संख्या-188 फुलवारी)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत फुलवारी प्रखण्ड के मुहल्ला, ब्रह्मपुर, श्यामा राय कॉलोनी, भारती सीमेंट स्टोर के पूरब मुख्य सड़क ब्रह्मपुर बाजार से होते हुये गायत्री निवास तक की सड़क कच्ची है एवं नाला नहीं है, जिसके कारण बरसात के दिनों में जल-जमाव होने के कारण काफी परेशानियों का सामान करना पड़ता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त सड़क का पक्कीकरण के साथ-साथ नाला निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जल-जमाव दूर कराना

*2479. श्री फते बहादुर सिंह (क्षेत्र संख्या-212 डिहरी)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि विभागीय पत्रांक 3123, दिनांक 24 जून, 2019 द्वारा रोहतास जिलान्तर्गत नगर परिषद् डेहरी डालमियानगर में जल-जमाव से मुक्ति हेतु स्ट्राम वाटर ड्रेनेज योजना का डी०पी०आर० बनाने के लिये कार्यपालक अभियंता बुडको रोहतास को निदेश दिया गया था, जो अभीतक विभाग को नहीं भेजा गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार स्ट्राम वाटर ड्रेनेज योजना का डी०पी०आर० तैयार कर नगर परिषद् डेहरी डालमियानगर में जल-जमाव की समस्या से कबतक निजात दिलाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नोट— 'घ'- ग्रामीण कार्य विभाग से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में स्थानान्तरित ।

Optimized by www.ImageOptimizer.net

नियम बनना

*2480. श्री शकील अहमद खाँ (क्षेत्र संख्या-64 कदवा)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य के सभी जिलों में विगत 1 वर्ष में ऑनलाईन माध्यम से हुये नामांतरण की विसंगतियों यथा नाम आदि में सुधार हेतु कोई नियम निर्धारित नहीं है, यदि हाँ, तो क्या सरकार ऑनलाईन नामांतरण की विसंगतियों में सुधार का नियम बनाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

अतिक्रमण मुक्त कराना

*2481. श्री अजय कुमार (क्षेत्र संख्या-138 विभूतिपुर)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सारण जिला अन्तर्गत ग्राम सिकटी में आने-जाने हेतु एक ही रास्ता है, जो थाना नं० 234, खाता नं० 124, खेसरा नं० 347 होकर गुजरती है, जिसे स्थानीय दबंगों द्वारा अतिक्रमण कर अपने नाम से करा लिया गया है, जिसके कारण लोगों को आवागमन में कठिनाई हो रही है ;

(2) क्या यह बात सही है कि भूमि सुधार उप-समाहर्ता, सदर छपरा के पत्रांक 706, दिनांक 6 नवम्बर, 2019 के द्वारा उक्त खेसरा नं० 347 के जमीन का जमाबंदी रद्द करने का आदेश निर्गत है, किन्तु अतिक्रमणकारी द्वारा जमीन अभीतक खाली नहीं किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त जमीन को खाली कराकर सड़क को अतिक्रमणमुक्त कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) उत्तर अस्वीकारात्मक है । समाहर्ता, सारण से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में वस्तुस्थिति यह है कि सारण जिला अन्तर्गत ग्राम-सिकटी में आने-जाने हेतु वर्तमान में एक नहीं बल्कि तीन तरफ से रास्ता उपलब्ध है जो निम्नवत है :--

(i) NH 102 सोनहो मकेर रोड पूरे छपरा-फुलवरिया नगर मठिया होते हुये ग्राम-सिकटी

(ii) SH-77 ग्राम सगुनी (श्रीरामपुल होकर) सिकटी

(iii) परसा मकेर रोड में शिवमंदिर फतेहपुर के बगल से होते हुये ग्राम-सिकटी

उक्त तीनों सड़क प्रश्नगत खाता सं० 124, खेसरा नं० 347 पर निर्मित नहीं है तथा पूर्णतः अतिक्रमण मुक्त है जिसपर निर्बाध आवागमन होता है ।

(2) उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । वर्णित पत्रांक 706, दिनांक 6 नवम्बर, 2019 के माध्यम से भू०सू०उप-समाहर्ता सदर द्वारा खेसरा 347 एवं खाता सं० 124 के जमाबंदी रद्दीकरण के संबंध में विधिवत न्याय निर्णय हेतु अपर समाहर्ता, सारण छपरा को प्राप्त कराया गया ।

विधिवत् सुनवाई कर अपर समाहर्ता, सारण द्वारा संबंधित जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं० 2/18-19 में जमाबंदी रद्द कर अपने पत्रांक 1238, दिनांक 30 मार्च, 2020 से अंचल अधिकारी, परसा को अनुपालनार्थ प्रेषित किया गया।

अंचलाधिकारी, परसा ने आदेश अनुपालित होने के संबंध में अपने ज्ञापांक सं० 692, दिनांक 17 सितम्बर, 2020 द्वारा अपर समाहर्ता को प्रतिवेदित भी किया है। जमाबन्दी रद्द करने के पश्चात् अतिक्रमण मुक्त करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

(3) खण्ड (1) एवं खण्ड (2) में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

Optimized by www.ImageOptimizer.net

स्थानान्तरित कराना

*2482. श्री संजय सरावगी (क्षेत्र संख्या-83 दरभंगा)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा शहर में थोक फल एवं सब्जी मंडी शहर के बीचो-बीच भीड़-भाड़ वाले इलाके दरभंगा टॉवर के बगल में अल्हुआ गद्दी में अवस्थित है, जिसके कारण उस पूरे इलाके में जाम की समस्या बनी रहती है और फल एवं सब्जी बिक्रेता को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार दरभंगा टॉवर के बगल में अवस्थित थोक फल एवं सब्जी मंडी को दरभंगा बाजार समिति के प्रांगण में कबतक स्थानान्तरित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नाला एवं सड़क का निर्माण

'च'-*2483. श्री चन्द्रहास चौपाल (क्षेत्र संख्या-72 सिंहेश्वर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधेपुरा जिला के सिंहेश्वर प्रखंड अन्तर्गत बाजार में हाथी गेट से लेकर महावरी चौक तक पक्की नाला एवं सड़क का निर्माण नहीं होने के कारण आमलोगों को आवागमन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त सड़क में पक्की नाली एवं सड़क का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

दोषी पर कार्रवाई

*2484. श्री पवन कुमार जायसवाल (क्षेत्र संख्या-21 ढाका)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि विभाग के संकल्प संख्या 557, दिनांक 21 जून, 2019 द्वारा 5 लाख तक के आय वाले हाट/बाजार/सैरातों को पंचायती राज संस्थाओं को सौंप देना था परंतु जिला परिषद्, पूर्वी चम्पारण को छोड़कर राज्य के किसी भी जिला परिषद्, पंचायत समिति, ग्राम पंचायतों को हाट/बाजार/सैरातों को पंचायती राज संस्थाओं को नहीं सौंपा गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार विभागीय संकल्प का अनुपालन नहीं करने वाले दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई करते हुये राज्य में 5 लाख आय वाले हाट/बाजार/सैरातों को पंचायती राज संस्थाओं को सौंपने का विचार रखती है, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

जल-जमाव से मुक्त कराना

*2485. श्री चन्द्रशेखर (क्षेत्र संख्या-73 मधेपुरा)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधेपुर नगर परिषद् में 7 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित नालों का मधेपुरा नगर परिषद् के तीन दिशा से बहने वाले नदियों से नहीं जुड़ी रहने के कारण पानी के निकासी के अभाव में मधेपुरा शहर में जल-जमाव की स्थिति रहती है, यदि हाँ, तो सरकार मधेपुरा नगर परिषद् को जल-जमाव से मुक्त करने हेतु कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है ?

बीमा राशि का भुगतान

*2486. श्री सुधाकर सिंह (क्षेत्र संख्या-203 रामगढ़)--क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में वर्ष 2012-13 में एच0डी0एफ0सी0 एर्गो बीमा कंपनी एवं आई0सी0आई0सी0आई0 लोम्बर्ड बीमा कंपनी को फसलों के बीमा हेतु अधिसूचित किया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त वित्तीय वर्ष में फसलों की बीमा हेतु किसानों को 159.49 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाना था परंतु एच0डी0एफ0सी0 एर्गो एवं आई0सी0आई0सी0आई0 लोम्बर्ड द्वारा फसल बीमा उक्त राशि से कम आकलन कर किसानों को भुगतान किया गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार इसकी जाँच कराकर किसानों को फसल बीमा राशि का भुगतान कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नोट--'च'-ग्रामीण कार्य विभाग से नगर विकास एवं आवास विभाग में स्थानान्तरित ।

Optimized by www.ImageOptimizer.net

औचित्य बतलाना

*2487. श्री विश्वनाथ राम (क्षेत्र संख्या-202 राजपुर)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बक्सर जिला के राजपुर प्रखंड के पंचायत हरपुर के ग्राम-हरपुर में अंचल पदाधिकारी द्वारा सरकारी पोखरा की भूमि 3 एकड़ 65 डिसमिल जमीन विश्वनाथ सिंह के नाम से रसीद कटवा दिया गया है तथा इसकी लिखित शिकायत जिलाधिकारी, बक्सर से की गयी है, यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है ?

औचित्य बतलाना

*2488. श्रीमती स्वर्णा सिंह (क्षेत्र संख्या-79 गौड़ाबौराम)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नगर विकास एवं आवास विभाग की अधिसूचना संख्या 5403, दिनांक 21 अगस्त, 2017 द्वारा दरभंगा जिला अन्तर्गत बिरौल को नगर परिषद् घोषित किया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि दिनांक 26 दिसम्बर, 2020 को मंत्री परिषद् की विशेष बैठक में पूर्व अधिसूचित बिरौल नगर परिषद् के मात्र अफजला पंचायत को नगर पंचायत घोषित किया गया ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो बिरौल नगर परिषद् क्षेत्र के मात्र अफजला पंचायत को नगर पंचायत घोषित करने का क्या औचित्य है ?

कर निर्धारण कराना

*2489. श्री अजय कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-166 जमालपुर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिला के जमालपुर नगरपालिका में होल्डिंग टैक्स के निर्धारण में विसंगति होने के कारण वहाँ के लोगों में क्षोभ एवं आक्रोश व्याप्त है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त नगरपालिका में होल्डिंग टैक्स का निर्धारण सरकारी अनुदेशों के अनुसार करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

शोषण से मुक्त कराना

*2490. श्री महबूब आलम (क्षेत्र संख्या-65 बलरामपुर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि स्ट्रीट वेंडर्स (प्रोटेक्शन ऑफ लिभलिहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट भेंडिंग) एक्ट, 2014 के तहत बिहार के तमाम शहरी तथा देहाती क्षेत्र के मोबाईल वेंडर्स या शहर के नेचुरल मार्केट के वेंडरों को निबंधन कर उन्हें पहचान-पत्र देकर फुटपाथ पर आवश्यक उपभोक्ता के सामानों को बेचने का वैधानिक अधिकार तथा अन्य लाभकारी योजनाओं की सुविधायें देने का प्रावधान है तथा फुटपाथ के दुकानदारों को दस हजार रुपये कर्ज देने की योजना बनाई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि पटना के जी0पी0ओ0 गोलंबर से स्टेशन के टाटा पार्क के अंदर का स्वभाविक बाजार (नेचुरल मार्केट) के फुटपाथ दुकानदारों में से बहुत के पास निबंधन प्रमाण-पत्र रहने के बावजूद उन्हें पुलिस प्रशासन द्वारा प्रताड़ित कर उनसे जुर्माना के नाम पर 500 रुपया से 5,000 रुपया का शोषण किया जाता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार फुटपाथ दुकानदारों का वैधानिक अधिकार देते हुये ब्याज मुक्त एक लाख का कर्ज देने और पुलिस प्रशासन के शोषण से मुक्त कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

Optimized by www.ImageOptimizer.net

दंड शुल्क माफ करना

*2491. श्रीमती वीणा सिंह (क्षेत्र संख्या-129 महनार)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नगर निगम/नगर पालिका/नगर परिषद् में समय पर होल्डिंग टैक्स नहीं जमा करने पर फाइन लिया जाता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि कोरोना की वजह से लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हुई है, जिस कारण ससमय लोगों द्वारा होल्डिंग टैक्स नहीं जमा किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार होल्डिंग टैक्स के लेट फाइन को माफ करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

निर्माण पर रोक

*2492. श्री मुसाफिर पासवान (क्षेत्र संख्या-91 बोचहाँ)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत बोचहां विधान सभा के प्रखंड मुसहरी के ग्राम प्रहलादपुर में श्मसान भूमि पर वाटर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट निर्माण कराया जा रहा है, जिससे आम जनता आक्रोशित है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त निर्माण रोकने के लिए कबतक कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

राजस्व कर्मचारियों की नियुक्ति

*2493. श्री अख्तरूल ईमान (क्षेत्र संख्या-56 अमौर)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिला के अमौर और वैसा अंचलों सहित पूरे बिहार में राजस्व कर्मचारियों के स्वीकृत पदों कि विरुद्ध दो तिहाई से ज्यादा पद रिक्त है, जिसके कारण जमीन के लगान का भुगतान, दाखिल-खारिज जैसे मामलों के निबटारे में काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार स्वीकृत पद के अनुरूप राजस्व कर्मचारियों नियुक्ति का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नगर पंचायत का दर्जा

*2494. श्री मिश्रीलाल यादव (क्षेत्र संख्या-81 अलीनगर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के घनश्यामपुर प्रखंड अन्तर्गत घनश्यामपुर पंचायत में अंचल, थाना, अस्पताल आदि के रहने के बावजूद नगर पंचायत का दर्जा नहीं है, यदि हाँ, तो क्या सरकार घनश्यामपुर पंचायत को नगर पंचायत का दर्जा देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*2495. श्रीमती नीतू कुमारी (क्षेत्र संख्या-236 हिसुआ)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में नवादा जिला अंतर्गत हिसुआ विधान सभा क्षेत्र, अंतर्गत हिसुआ प्रखंड के नगर पंचायत हिसुआ के वार्ड नं0-01, 02, 07, 12 एवं 13 में संवेदक द्वारा हर घर नल जल योजना अन्तर्गत कराये गए कार्य में अभीतक लोगों के घरों तक पानी नहीं पहुँच पाया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार इसकी जांच करा कर कार्रवाई करते हुए उक्त योजना अन्तर्गत उक्त वार्ड नं0 के लोगों के घरों तक पानी पहुंचाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--अस्वीकारात्मक है । कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, हिसुआ द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना अन्तर्गत नगर पंचायत, हिसुआ के वार्ड सं0-1 में 130 घरों, वार्ड सं0-02 में 345 घरों, वार्ड सं0-7 में 212 घरों, वार्ड सं0-12 में 303 घरों एवं वार्ड सं0-13 में 275 घरों में पेयजलापूर्ति नियमित रूप से पहुँचाई जा रही है।

दोषी पर कार्रवाई

*2496. श्रीमती शालिनी मिश्रा (क्षेत्र संख्या-15 केसरिया)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार लैंड म्यूटेशन रूल, 2012 के तहत 21 दिनों में दाखिल-खारिज वाद का निष्पादन किया जाना है ;

(2) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चंपारण जिलांतर्गत अंचलाधिकारी, चकिया द्वारा दाखिल-खारिज वाद संख्या-267R27-2021 तथा 424R27-2021 जो चकिया अंचल में वाद संख्या-8237, दिनांक 19 जून, 2020 एवं 8444, दिनांक 28 जून, 2020 के रूप में क्रमशः दर्ज है पर कोई कार्रवाई आजतक नहीं की गई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बिहार लैंड म्यूटेशन रूल, 2012 के अनुरूप उक्त वाद पर 21 दिनों के अंदर अंचलाधिकारी द्वारा कार्य का निष्पादन नहीं करने के विरुद्ध कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

दोषी पर कार्रवाई

*2497. श्री अरूण शंकर प्रसाद (क्षेत्र संख्या-33 खजौली)--स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 25 जनवरी, 2021 को प्रकाशित शीर्षक "66 करोड़ के लाभ से वंचित है किसान" को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला के विभिन्न को-ऑपरेटिव बैंक द्वारा किसानों को के0 सी0 सी0 ऋण देने के साथ वर्ष 2016-17 में 5552 किसानों से 22 लाख 75 हजार 643 रुपये तथा वर्ष 2017-18 में 19 हजार किसानों से 93 लाख 47 हजार 152 रुपये फसल बीमा के लिये कटौती कर ली गयी थी, परन्तु संबंधित कर्मी व अधिकारियों ने समय पर उक्त कटौती की गयी राशि को बीमा कम्पनी को नहीं भेजा, जिस कारण फसल क्षति से मिलने वाली 66 करोड़ की राशि के लाभ से किसान वंचित हो गये, यदि हाँ, तो सरकार लापरवाही बरतने वाले कर्मी व अधिकारियों के विरुद्ध कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि रबी 2016-17 एवं रबी 2017-18 मौसम में दी रहिका जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक, मधुबनी के द्वारा बीमित किसानों के प्रीमियम राशि की कटौती कर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रावधान के तहत निर्धारित अंतिम तिथि तक बीमा कंपनी को नहीं जमा करने संबंधित मामला प्रकाशन में आया था जिसकी जाँच प्रमण्डलीय संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, दरभंगा प्रमण्डल से करायी गई थी। प्रमण्डलीय संयुक्त निबंधक के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में इस मामले में दोषी तत्कालीन प्रबंध निदेशक के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करते हुए दण्ड संसूचित किया जा चुका है। साथ ही, इस मामले में दोषी 09 बैंक पदाधिकारी/शाख प्रबंधकों के विरुद्ध बैंक कर्मचारी सेवा नियमावली, 2012 के नियम 32 एवं 38 के तहत् बैंक प्रबंधन द्वारा आरोप-पत्र गठित करते हुए विभागीय कार्यवाही संचालित की गई है।

साथ ही दी रहिका जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0 द्वारा रबी 2016-17 एवं रबी 2017-18 मौसम में किसानों से काटी गई प्रीमियम की राशि जिसे बीमा कंपनी को स-समय भेजा नहीं गया था संबंधित किसानों के खातों में हस्तांतरित कर दी गई है।

Optimized by www.ImageOptimizer.net

दोषी पर कार्रवाई

*2498. श्री छोटेलाल राय (क्षेत्र संख्या-121 परसा)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पिछले वर्ष सारण जिलान्तर्गत प्रखंड दरियापुर के सभी पंचायत बाढ़ से प्रभावित था ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त प्रखंड में राज्य सरकार द्वारा मिलने वाली सहायता जैसे नाव, तिरपाल एवं कैम्प लगाकर भोजन कराना अंचलाधिकारी द्वारा बाढ़ प्रभावित लोगों के लिये किया जाना था, जिससे काफी अनियमितता बरती गई है, यदि हाँ, तो क्या सरकार इसकी जाँच कराकर दोषी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

गंदे पानी की निकासी

*2499. श्री केदार नाथ सिंह (क्षेत्र संख्या-115 बनियापुर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिला के आर ब्लॉक रोड नं०-1 एवं 2 में अवस्थित अनुसचिवीय सरकारी आवासीय कॉलोनी के गंदे पानी की निकासी वर्ष 2021 में नवनिर्मित अटल पथ के साथ निर्मित नाला की ऊँचाई अधिक होने के कारण बाधित है, जिसके कारण आवासीय कॉलोनी में सालोंभर जल-जमाव की स्थिति बनी रहती है तथा संक्रमण से जनित बीमारियों से आवासी प्रभावित हो रहे हैं, यदि हाँ, तो सरकार उक्त आवासीय कॉलोनी के गंदे पानी की निकासी हेतु कौन-सी व्यवस्था कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बस पड़ाव बनाना

*2500. श्रीमती अरूणा देवी (क्षेत्र संख्या-239 वारिसलीगंज)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नवादा जिला के पकरीरावाँ बाजार में बस स्टैण्ड मेन रोड पर ही है, जिसके कारण हमेशा मेन रोड में जाम की समस्या बनी रहती है जबकि उक्त बाजार के बगल में सरकारी भूमि उपलब्ध है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त बाजार में उपलब्ध भूमि पर बस पड़ाव बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्वच्छ बनाना

*2501 . श्री इजहारूल हुसैन (क्षेत्र संख्या-54 किशनगंज)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिला के किशनगंज नगर परिषद् के शहर के बीचों-बीच रमजान नदी बहती है, जिसमें शहर के नाला का गंदा पानी गिरने के कारण काफी प्रदूषित हो गया है, यदि हाँ, तो सरकार रमजान नदी में गिरने वाले नाले के गंदे पानी को बंद करने के साथ नदी को स्वच्छ बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भूमि उपलब्ध कराना

*2502. श्री अखतरूल इस्लाम शाहीन (क्षेत्र संख्या-133 समस्तीपुर)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2014 में भूमिहीनों को 5 डि० जमीन देने का प्रावधान किया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के जितवारपुर प्रखंड के लगुनिया, सूर्यकण्ठ, जितवारपुर चौथ सहित अन्य पंचायतों में भूमिहीन को 5 डिसमिल जमीन उपलब्ध नहीं कराया गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त पंचायतों के भूमिहीन परिवारों को 5 डिसमिल जमीन उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) उत्तर स्वीकारात्मक है ।

(2) उत्तर स्वीकारात्मक है । समाहर्ता, समस्तीपुर से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार समस्तीपुर जिलान्तर्गत जितवारपुर प्रखंड के लगुनियां सूर्यकंठ, जितवारपुर चौथ सहित ग्रामों के महादलित, दलित, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग समुदाय के वास भूमिहीन परिवारों का सर्वेक्षण कराया गया है । इन में से कुछ परिवार जल निकाय (पोखर का भिण्डा) पर अतिक्रमण कर बसे हुये हैं । जिन्हें अन्यत्र वास भूमि उपलब्ध कराने हेतु अभियान बसेरा के तहत कार्रवाई की जा रही है । उपर्युक्त सरकारी/रैयती भूमि की तलाश की जा रही है । चूँकि जितवारपुर प्रखंड क्षेत्र जिला मुख्यालय (प्रस्तावित नगर निगम) के अगल-बगल का इलाका है जिस कारण एम० भी० आर० की दर पर रैयती भूमि उपलब्ध होने में कठिनाई हो रही है । प्रयास जारी है ।

नाला निर्माण कराना

*2503. श्री जितेन्द्र कुमार राय (क्षेत्र संख्या-117 मढ़ौरा)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सारण जिला के मढ़ौरा नगर पंचायत अंतर्गत असोइयां, सीवान से डबरा नदी तक बड़ा पन वे नाला अवस्थित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि यह नाला नगर पंचायत के मध्य से गुजरती है और इसमें गाद जम जाने के कारण नाले के पानी का बहाव अवरुद्ध है, जिससे पूरे नगर पंचायत के क्षेत्र में बरसात में जल-जमाव हो जाता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उपर्युक्त पन वे नाले की सफाई कराकर पक्का नाला निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक नहीं, तो क्यों ?

पक्कीकरण एवं नाला का निर्माण

*2504. श्री चन्द्रहास चौपाल (क्षेत्र संख्या-72 सिंहेश्वर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिला के दानापुर प्रखंड अंतर्गत गोला रोड पटना से पूरब जाने वाली एफ० सी० आई० रोड में सेंट करेंस स्कूल, गोला रोड से हनुमान मंदिर तक नाला एवं पक्की रोड नहीं होने के कारण आमलोगों को समस्या होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक, उक्त सड़क का पक्कीकरण एवं नाला का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

उपस्थिति नियमित कराना

*2505. श्री मनोज मंजिल (क्षेत्र संख्या-195 अगियाँव)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत चरपोखरी प्रखंड में स्थित पशु चिकित्सालय पर नियमित रूप से चिकित्सक एवं चिकित्सा कर्मी नहीं रहने से पशुओं का इलाज समय पर नहीं हो पाता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त पशु चिकित्सालय को नियमित खोलने एवं चिकित्सक सहित चिकित्साकर्मी की नियमित उपस्थिति कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

Optimized by www.ImageOptimizer.net

विस्थापितों को बसाना

*2506. श्री अजय यादव (क्षेत्र संख्या-233 अतरी)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिला के गोढ़ियन एवं चकरा पंचायत के चकरा, रंगपुर, भोजपुर, गोढ़ियन, खीरी आदि के 5300 एकड़ जमीन को अधिग्रहित कर नालंदा जिला में स्थानातरण कर नेचर सफारी का निर्माण कराया जा रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त गाँव के जमीनों को अधिग्रहित करने के बाद वहाँ के विस्थापित लोगों को कहीं नहीं बसाया गया है तथा ग्रामीण दर-दर भटकने को विवश हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त गाँव के लोगों के लिये भूमि अधिग्रहण कर बसाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) समाहर्ता, नालंदा से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार वस्तुस्थिति निम्नवत् है:--

1. गया जिले के जेढियन घाटी के वन भूमि, जो कि नालंदा वन प्रमंडल अन्तर्गत राजगीर वनप्राणी आश्रयणी के दक्षिणी पश्चिमी भाग में अवस्थित एवं सटा हुआ है। वन विभाग द्वारा नेचर सफारी विकसित करने हेतु वन प्रमंडल, नालंदा के प्रशासनिक अधिकार में हस्तांतरित किया गया है।

2. नेचर सफारी में सम्मिलित होने वाले वन भूमि की विवरणी निम्नवत् है:--

ग्राम का नाम	पंचायत	अंचल	थाना सं०	वन भूमि (हे० में)
जेढियन	जेढियन	मोहरा	223	1282.0
भोजपुर	चकरा	अतरी	221	185.7
चकरा	चकरा	अतरी	220	662.4
			कुल	2130.1 हेक्टेयर

3. प्रारंभ में 500.00 (पाँच सौ) हेक्टेयर में नालंदा वन प्रमंडल के सीमावर्त्ती जेढियन मौजा में नेचर सफारी को विकसित करने का कार्य किया जा रहा है। नेचर सफारी विकसित करने के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया है। वन विभाग के स्वामित्व में अधिसूचित वन भूमि पर यह कार्य किया जा रहा है। रैयती भूमि को अधिग्रहण कर हस्तांतरित करने का मामला नहीं बनता है।

4. जेढियन घाटी की वन भूमि नालंदा वन प्रमंडल के राजगीर वन क्षेत्र के पहाड़ों के साथ लगातार मिला हुआ है । इस कारण से उक्त समस्त वन क्षेत्र को नालंदा वन प्रमंडल के प्रशासनिक प्रमंडल में सम्मिलित रहने के कारण, एकीकृत प्रबंधन एवं विकास के मद्देनजर तथा प्रशासनिक एवं सुरक्षा के दृष्टिकोण से उक्त क्षेत्र को नालंदा जिले में सम्मिलित करने का प्रस्ताव समाहर्ता, नालंदा से प्राप्त हुआ है। प्राप्त प्रस्ताव के समीक्षोपरांत समाहर्ता, नालंदा से कतिपय बिन्दुओं पर स्थिति स्पष्ट करते हुये संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त के माध्यम से प्रस्ताव उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात् विभाग द्वारा निर्णय लिया जायेगा ।

(2) अस्वीकारात्मक । प्रश्नगत गाँव में किसी भी रैयती भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया है। ग्रामीणों के विस्थापित होने का प्रश्न नहीं उठता है।

(3) उपर्युक्त खण्ड (1) में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

जीर्णोद्धार कराना

*2507. श्री मनोज कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-16 कल्याणपुर)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चंपारण जिला अन्तर्गत अंचल कोटवा में राजस्व कचहरी भवन की स्थिति अत्यंत जर्जर अवस्था में है, जिसके कारण राजस्व संबंधित कार्यों का निष्पादन करने में पदस्थापित राजस्व कर्मचारियों को काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त वर्णित राजस्व कचहरी का भवन का जीर्णोद्धार कबतक कार्य कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

शौचालय का निर्माण

*2508. श्रीमती मंजू अग्रवाल (क्षेत्र संख्या-226 शेरघाटी)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिला अन्तर्गत शेरघाटी प्रखंड स्थित नगर पंचायत, शेरघाटी में कोई भी सार्वजनिक शौचालय नहीं है जबकि यह एरिया घनी आबादी एवं प्रमुख बाजार होने के कारण आस-पास गाँवों से आने वाले ग्रामीणों खासकर महिलाओं को समस्याओं का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त स्थानों पर सार्वजनिक शौचालय बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जलापूर्ति कराना

*2509. श्री विनय बिहारी (क्षेत्र संख्या-05 लौरिया)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पश्चिम चंपारण जिला के योगापट्टी प्रखंड स्थित मच्छरगाँवा, मटकोटा, नवलपुर तथा लौरिया प्रखंड स्थित लौरिया, गोवरौरा और साठी में विभाग द्वारा निर्मित जलमीनारों से संलग्न पाइप क्षतिग्रस्त होने के कारण आमजनों के घर तक जल पहुँचाने की प्रक्रिया बाधित है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त स्थानों पर स्थित जलमीनारों से संलग्न पाइप को ठीक कराकर आमजनों तक पानी पहुँचाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सड़क निर्माण कराना

*2510. श्री राजेश कुमार गुप्ता (क्षेत्र संख्या-208 सासाराम)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला के सासाराम शहर में लोहा सिंह के द्वार से गंगा सिंह के घर होते हुये एस०पी० जैन कॉलेज रोड तक रोड एवं नाली का निर्माण नहीं हुआ है जिसकी लम्बाई 1.5 कि०मी० है तथा सड़क पर गंदगी एवं गंदा पानी जमा रहता है, जिससे स्लम एरिया बन गया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त सड़क का निर्माण नाला सहित कबतक कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

पशु गर्भाधारण केन्द्र खोलना

*2511. श्री राणा रणधीर (क्षेत्र संख्या-18 मधुबन)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि शिवहर जिला के डुमरी, कटसरी प्रखण्ड के लालगंज योगिया में एक भी पशु गर्भाधारण केन्द्र नहीं है, जिसके कारण उस क्षेत्र के पशुपालकों को अपने पशुओं के गर्भाधारण के लिये अन्यत्र जाना पड़ता है जिससे उन्हें काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार लालगंज योगिया में पशु गर्भाधारण केन्द्र खोलने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

चिकित्सक का स्थानांतरण

*2512. श्री सत्यदेव राम (क्षेत्र संख्या-107 दरौली)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीवान जिलान्तर्गत दरौली प्रखण्ड में पशु चिकित्सालय में लगभग चार वर्षों से प्रतिनियुक्त चिकित्सक हमेशा कार्यस्थल से गायब रहते हैं, जिसके कारण वहाँ के पशुपालकों को पशु इलाज में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त चिकित्सक को उनके कार्य स्थल पर उपस्थिति सुनिश्चित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

Optimized by www.ImageOptimizer.net

भूमि अधिग्रहण कराना

*2513. श्री विजय सिंह (क्षेत्र संख्या-68 बरारी)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला अन्तर्गत बरारी प्रखंड में गंगा नदी के कटाव से पीड़ित परिवार फुलवरिया चौक से काढ़ागोला घाट तक जानेवाली सड़क में मड़वा गाँव से काढ़ागोला घाट तक सड़क के दोनों किनारे रहने को विवश है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त स्थानों पर बसे पीड़ित परिवारों के लिये भूमि अधिग्रहण कर बसाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

औचित्य बतलाना

*2514. श्री अरूण सिंह (क्षेत्र संख्या-213 काराकाट)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला के कराकाट प्रखंड में माह जून, 2020 में किसानों की सब्सिडी दर पर बीज उपलब्ध कराया गया था परंतु अभीतक किसानों के खाते में सब्सिडी की राशि उपलब्ध नहीं कराई गयी है, यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है ?

भवन निर्माण कराना

*2515. श्री अजीत कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-201 डुमराँव)--क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बक्सर जिले के डुमराँव विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत चारो प्रखंड डुमराँव, चौगाई, केसठ और नावानगर में सहकारिता विभाग के कार्यालय हेतु अपना कोई भवन नहीं हैं, जिसके कारण कार्यालय संचालन करने में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त प्रखंडों में विभाग का कबतक कार्यालय भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

योजना का लाभ दिलाना

*2516. श्री राजेश कुमार (क्षेत्र संख्या-222 कुटुम्बा)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के गरीबी रेखा के नीचे जीवर बसर कर रहे लोगों को विभाग से प्रति व्यक्ति 10-10 मुर्गी के चूजे एवं बकरी दिये जाने का प्रावधान है ;

(2) क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला में गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर कर रहे लोगों को उक्त योजना का लाभ नहीं मिला है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार औरंगाबाद जिले में सभी पात्र लाभुक को उक्त योजना का लाभ दिलाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

Optimized by www.ImageOptimizer.net

आवसीय भूमि बनाना

*2517. श्री विद्या सागर केशरी (क्षेत्र संख्या-48 फारबिसगंज)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत फारबिसगंज के कुसमाहां पंचायत के कुसमाहा मौजा वार्ड संख्या 2 की भूमि सीमा सड़क के लिये अधिग्रहित की गई थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त भूमि आवासीय क्षेत्र की भूमि से 200 मीटर की परिधि के अन्दर होने के बावजूद वर्णित भूमि का किस्म कृषि निर्धारित कर दिया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कुसमाहां मौज़ा, वार्ड संख्या 2 की भूमि को आवासीय प्रकृति की भूमि करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

राशन कार्ड दिलाना

*2518. श्री निरंजन राय (क्षेत्र संख्या-88 गायघाट)--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत गायघाट प्रखंड के 900 से अधिक बी0पी0एल0 गरीब परिवारों की महिला एवं पुरूष का आर0टी0पी0एस0 के द्वारा आवेदन दिये जाने के बावजूद भी अभीतक राशन कार्ड नहीं बना है, यदि हाँ, तो सरकार इसकी जाँच कराकर उक्त प्रखंड के 900 से अधिक गरीब परिवार के महिला एवं पुरूष का राशन कार्ड बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सुविधा का लाभ देना

*2519. श्री लखेन्द्र कुमार रौशन (क्षेत्र संख्या-130 पातेपुर)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सरकार जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के लिये अनुदान देते हुये व्यावसायिक वर्मी कम्पोस्ट यूनिट की स्वीकृति दी है ;

(2) क्या यह बात सही है कि पूर्व में सरकार द्वारा वर्मी कम्पोस्ट सभी जिलों में किसानों को सभी फसलों के लिये नि:शुल्क एवं अनुदानित दर पर उपलब्ध कराया जाता था ;

(3) क्या यह बात सही है कि पूर्व में दी गई उपर्युक्त सुविधा अब राज्य के कुछ जिलों के किसानों को सीमित फसलों के लिये ही दी जा रही है, जिसके कारण राज्य में स्वीकृत वर्मी कम्पोस्ट यूनिट बंद होने के कगार पर है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पुन: उक्त सुविधा राज्य के सभी जिलों के किसानों को सभी फसलों के लिये देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

स्थानांतरित करना

*2520. श्री राम विशुन सिंह (क्षेत्र संख्या-197 जगदीशपुर)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत जगदीशपुर अंचल कार्यालय में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत, राजस्व कर्मचारी (हल्का कर्मचारी) दिनांक 23 दिसम्बर, 1996 से दिनांक 31 जुलाई, 2003, दिनांक 17 जुलाई, 2004 से 30 जून, 2012 एवं दिनांक 22 जून, 2016 से 4 अगस्त, 2020 तक उक्त अंचल में पदस्थापित रहे हैं, जिनका स्थानांतरण आरा अंचल कार्यालय में होने के कारण दिनांक 5 अगस्त, 2020 से आरा अंचल में पदस्थापित हैं, परंतु अपने निजी लाभ हेतु पुन: जगदीशपुर अंचल कार्यालय में वर्तमान में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं, जबकि सरकारी नियमानुसार किसी भी कर्मचारी को एक स्थान पर 3 वर्षों से अधिक अवधि तक पदस्थापित नहीं रह सकते हैं, यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है ?

Optimized by www.ImageOptimizer.net

कर्मियों को नियमित करना

*2521. श्री अरूण सिंह (क्षेत्र संख्या-213 काराकाट)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि माननीय उच्च न्यायायल द्वारा सी0 डब्लू0 जे0 सी0 6791/91 में पारित आदेश के आलोक में विभाग के अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव द्वारा पत्रांक 216 (वर्ग) दिनांक 21 जुलाई, 1993 के जरिए आई0 टी0 आई0 प्रशिक्षित लोगों को प्लम्बर पद पर नियुक्त करने का आदेश निर्गत किया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त आदेश के आलोक में 27 लोगों को कार्यभारित कर्मी के रूप में नियुक्त किया गया था, जिन्हें प्रावधान के अनुसार बाद में नियमित करना था लेकिन 20-25 वर्ष से कार्यरत उन कर्मियों को आजतक नियमित नहीं किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त 27 कर्मियों को नियमित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक । विभागीय पत्रांक 3710, दिनांक 1 सितम्बर, 1979 द्वारा कार्यभारित स्थापनान्तर्गत नलयोजक (प्लम्बर) के पद पर 50 प्रतिशत नियुक्ति आई0 टी0 आई0 प्रशिक्षितों से भरे जाने का निर्णय लिया गया था। उक्त विभागीय निर्णय के परिप्रेक्ष्य में ही सी0 डब्लू0 जे0 सी0 6791/91 में न्यायादेश पारित किया गया। तदालोक में अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव द्वारा पत्रांक 216, दिनांक 21 जुलाई, 1993 द्वारा इन कर्मियों को कार्यभारित स्थापनान्तर्गत नलयोजक (प्लम्बर) के पद पर विहित प्रक्रिया के अनुसार नियुक्त करने का निदेश दिया गया। विभागीय निदेश के आलोक में कार्यभारित स्थापनान्तर्गत इन कर्मियों की नलयोजक (प्लम्बर) के पद पर नियुक्ति की गयी ।

(2) आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। विभागीय निर्णय के आलोक में कार्यभारित स्थापनान्तर्गत इनकी नियुक्ति की गयी थी। इन कर्मियों को न्यायिक आदेश के आलोक में वर्ष 1993-94 में बाध्यकारी परिस्थिति में कार्यभारित स्थपनान्तर्गत नलयोजक (प्लम्बर) के पद पर नियुक्त किया गया था। वित्त विभागीय संकल्प संख्या 6394, दिनांक 23 अक्टूबर, 1987 द्वारा दिनांक 21 अक्टूबर, 1984 तक 05 वर्षों की लगातार संतोषप्रद सेवा कार्यभारित स्थापनान्तर्गत पूरी करने वाले कर्मियों के नियमितिकरण का निर्णय लिया गया। पुन: वित्त विभागीय संकल्प संख्या 10710 दिनांक 17 अक्टूबर, 2013 द्वारा कार्यभारित स्थापना में नियुक्ति का कट ऑफ डेट 11 दिसम्बर, 1990 के बाद नियुक्त होने के कारण इन कर्मियों का नियमितिकरण वित्त विभाग के उक्त संकल्प के आलोक में नहीं किया गया है। (परिशिष्ट-11)

(3) वित्त विभागीय संकल्प संख्या 6394, दिनांक 23 अक्टूबर, 1987 एवं 10710, दिनांक 17 अक्टूबर, 2013 में निहित प्रावधान के आलोक में सरकार उक्त कर्मियों को नियमितिकरण करने का कोई विचार नहीं रखती है ।

योजना का लाभ पहुँचाना

*2522. श्री अजय यादव (क्षेत्र संख्या-222 अतरी)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिला अंतर्गत अतरी विधान सभा क्षेत्र के मोहड़ा, नीमचक बथानी एवं अतरी प्रखंडों में हर घर नल-जल-योजना के तहत लोगों के घरों में पानी पहुँचाया गया है परंतु विद्युत् आपूर्ति बाधित होने के समय उक्त योजना का लाभ लोगों को नहीं मिल पाता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार विद्युत् बाधित होने की स्थिति में अन्य वैकल्पिक माध्यम से लोगों के घरों में उक्त योजना का लाभ पहुंचाने का विचार रखती है; नहीं, तो क्यों ?

Optimized by www.ImageOptimizer.net

प्रभारी मंत्री--स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि गया जिला के अतरी विधान सभा क्षेत्र के नीमचक बथानी, मोहड़ा एवं अतरी प्रखंडों में गया प्रमंडल द्वारा हर घर नल-जल-योजना के तहत नल का जल टंकी के माध्यम से जलापूर्ति कराई जा रही है। बिजली विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर निरंतर पर्याप्त बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। यहाँ औसतन 15 घंटे विद्युत् आपूर्ति हो रही है। बिजली के अतिरिक्त अन्य किसी वैकल्पिक व्यवस्था द्वारा जलापूर्ति का प्रावधान वर्तमान में नहीं है ।

फसल क्षति रोकना

*2523. श्री अजय कुमार (क्षेत्र संख्या-138 विभूतिपुर)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर, सारण, भभुआ, सासाराम तथा लखीसराय जिलों में नीलगायों द्वारा फसल को नष्ट किया जा रहा है, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान हो रहा है तथा इस संबंध में प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा जिला स्तर पर शिकायत की गयी है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त जिलों में नीलगायों से होने वाली फसल क्षति को रोकने का कबतक विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जल-जमाव दूर करना

*2524. श्री मिथिलेश कुमार (क्षेत्र संख्या-28 सीतामढ़ी)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी नगर परिषद् के वार्ड नं0-1, 2, 4, 24, 25 एवं 26 में नाला जाम रहने के कारण जल-जमाव की स्थिति बनी रहती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त वार्डों में जल-जमाव दूर करवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कदम उठाना

*2525. श्री समीर कुमार महासेठ (क्षेत्र संख्या-36 मधुबनी)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत मधुबनी विधान सभा क्षेत्र सहित पूरे जिले में गर्मी के दिनों में पेयजल का स्तर काफी नीचे चला जाता है और आम जनता को पेयजल की समस्या उत्पन्न हो जाती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार भू-गर्भीय जल के स्तर को बनाये रखने हेतु कौन-से कदम उठाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--मधुबनी जिलान्तर्गत मधुबनी विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत एवं जिले के कुछ अन्य क्षेत्रों में गर्मी के दिनों में 25 फीट से 30 फीट तक जलस्तर नीचे जाती है। उक्त जलस्तर पर भी चापाकल कार्यरत रहता है। वर्तमान में मधुबनी जिला का औसत जलस्तर 15 फीट है। पेयजल समस्याग्रस्त क्षेत्रों में बंद होने वाले साधारण/सिंगुर चापाकलों का ब्वद अमतेपवद का कार्य कर चालू किया जाता है एवं चापाकलों का मरम्मती कार्य कराया जाता है । भू-गर्भीय जलस्तर को बनाये रखने हेतु राज्य सरकार द्वारा जल-जीवन-हरियाली कार्यक्रम चलाया जा रहा है ।

Optimized by www.ImageOptimizer.net

दोषी पर कार्रवाई

*2526. श्री शाहनवाज (क्षेत्र संख्या-50 जोकीहाट)--दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 22 दिसम्बर, 2020 को प्रकाशित शीर्षक "कृषि सलाहकार के घर से चलता है कृषि प्रोग्राम" को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत जोकीहाट प्रखंड के बी० ओ० की उदासीनता के कारण कृषि सहालकार के घर से ही कृषि संबंधी सभी योजनाएँ संचालित हो रहा है जिससे किसान परेशान हो रहे हैं, यदि हाँ, तो सरकार इसकी जाँच कराकर दोषी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना

*2527. श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह (क्षेत्र संख्या-193 बड़हरा)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत बड़हरा प्रखंड के मौजमपुर सहित 39 गाँवों में जलापूर्ति हेतु वर्ष 2004 में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया था, परंतु इस योजना से न तो नियमित रूप से शुद्धिकरण के लिये एलम सहित अन्य तत्व मिलाये जा रहे हैं तथा कर्तव्य स्थल पर कर्मी भी उपस्थित नहीं रहते हैं, यदि हाँ, तो क्या सरकार इस मामले की जाँच कराते हुये योजनानुसार मौजमपुर सहित 39 गाँवों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

अस्पताल भवन का निर्माण

*2528. श्री विनय कुमार (क्षेत्र संख्या-225 गुरूआ)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिला के गुरूआ विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत गुरारू प्रखंड में विगत 15 वर्ष पूर्व में पशु अस्पताल के भवन निर्माण हेतु प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि प्रशासनिक स्वीकृति के पश्चात् भी विभागीय लापरवाही के कारण भवन निर्माण नहीं होने के चलते 15 वर्षों से अभी भी उक्त अस्पताल निजी मकान में ही चल रहा है, जिसके कारण चिकित्सक, चिकित्साकर्मी को भवन के अभाव में पशुओं के इलाज करने में काफी कठिनाई होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त अस्पताल के भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भत्ता दिलाना

*2529. श्री राजेश कुमार (क्षेत्र संख्या-222 कुटुम्बा)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी जिलों में लगभग 114000 वार्ड सचिव तीन वर्षों से लगातार सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना सात निश्चय योजना के तहत नली-गली एवं हर घर नल-जल योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम कर रहे हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि इसके बदले उन्हें आजतक कोई मानदेय भत्ता के रूप में राशि नहीं दी जा रही है जिसके कारण बिहार राज्य के वार्ड सचिव आर्थिक तंगी का शिकार हो रहे हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जनहित में बिहार राज्य के वार्ड सचिव को मानदेय या भत्ता के रूप में राशि दिलाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

Optimized by www.ImageOptimizer.net

कार्यालय भवन का निर्माण

*2530. श्री चेतन आनंद (क्षेत्र संख्या-22 शिवहर)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि शिवहर जिलान्तर्गत पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के कार्यालय का अपना भवन नहीं रहने के कारण निजी भवन में चल रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त जिलान्तर्गत पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग का कार्यालय भवन बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

योजना पूर्ण कराना

*2531. श्री वीरेन्द्र सिंह (क्षेत्र संख्या-234 वजीरगंज)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिला के वजीरगंज विधान सभा क्षेत्र में गया नगर जलापूर्ति योजना का कार्य श्री राम कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, हैदराबाद को दिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त योजना से गया नगर निगम क्षेत्र के भूसंडा में बांस का स्ट्रक्चर बनाकर जलमीनार का निर्माण किया जा रहा है, जबकि स्ट्रक्चर में लोहे के पाइप का उपयोग करना था तथा एक मीटर गड्ढा खोदकर पाइप बिछाने के बजाय जमीन पर बिछा दिया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार इसकी जाँच कराकर दोषी पर कार्रवाई करते हुये ससमय निर्माण कार्य पूरा कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

उपलब्धता सुनिश्चित कराना

*2532. डॉ० सी० एन० गुप्ता (क्षेत्र संख्या-118 छपरा)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत छपरा शहर में बालिका उच्च विद्यालय के सामने डाक बंगला सड़क के पास चिल्ड्रेन पार्क स्थित है, परंतु पार्क की देख-रेख के लिये गार्ड नहीं रहने के कारण पार्क की मूलभूत सुविधा यथा लाइट, झरना, बोरिंग एवं अन्य सुविधाएँ ध्वस्त है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त पार्क की देख-रेख हेतु गार्ड की व्यवस्था सहित अन्य सुविधाएँ उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जमीन की खुटाबंदी

*2533. श्री राकेश कुमार रौशन (क्षेत्र संख्या-174 इस्लामपुर)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिला के एकंगरसराय अंचल के मौजा पेन्दापुर, दनियावाँ, थाना नं० 112, खाता नं०-111, खेसरा संख्या 1378 एवं 1410 नीज जमीन की नापी चकबंदी निदेशालय के पत्रांक 102, दिनांक 23 जनवरी, 2019 द्वारा दिनांक 7 फरवरी, 2019 को कराया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि चकबंदी निदेशालय के पत्रांक 172, दिनांक 13 फरवरी, 2019 द्वारा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से उक्त जमीन के खेसरा संख्या 1410 के उत्तरी छोर पर 6.25 डी० नीज जमीन की खुटाबंदी करने का भी आदेश मांगा गया है जो अबतक अप्राप्त है तथा इस संबंध में प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा तीन माह पूर्व जिलाधिकारी नालंदा से भी शिकायत की गई थी ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खाता नं० 111, खेसरा नं० 1410 के उत्तरी छोर पर 6.25 डी० नीज जमीन की खुटाबंदी कार्य कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक है ।

(2) राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पत्र संख्या 1132 (6)/रा०, दिनांक 23 अगस्त, 2018 के

Optimized by www.ImageOptimizer.net

द्वारा मौजा-पन्दापुर, दनियावां, थाना नं०-112, अंचल-एकंगरसराय, जिला-नालन्दा के खाता संख्या 111, खेसरा संख्या-1410 पर अतिक्रमण कर बनाये गये मकान की पैमाईश एवं वाईसी-तेईसी पईन का सर्वे खाता नं० 276, प्लॉट नं० 1524 एवं खाता सं० 311, प्लॉट नं० 1524/1695 एवं खाता संख्या 272 चक खेसरा सं० 2101 एवं 1781 के मापी/पैमाईश कराने हेतु चकबंदी निदेशालय को निदेशित किया गया था। जिसके आलोक में विवादित खेसरा का सभी पक्षों की उपस्थिति में दिनांक 7 फरवरी, 2019 को नापी करायी गयी तथा नापी से संबंधित प्रतिवेदन चकबंदी निदेशालय के पत्रांक 172/चक०, दिनांक 13 फरवरी, 2019 के माध्यम से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को उपलब्ध करा दी गयी है।

(3) विषयांकित मामले में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के स्तर से विधि विभाग से परामर्श की गयी है। प्राप्त परामर्श निम्नवत् है :--

"Perused the record and carefully examined the Act. After denotification of the proceeding under section 26(A) the State Government have only power to fixed, distribute and recover the cost of operation under this Act sub-section (2) section 26(A) Provides that any order passed by a competent Court in cases or writs then proceeding deemed to have not been closed under section 26(A) otherwise only clerical and arithmetical error can be corrected under the Act.

I am of the considered view that any authority under the Law become functus officio after issuance of notification in official Gazette under section 26(A) save and accept correction of clerical and arithmetical error can be done not the procedural mistake. I opine accordingly."

उपरोक्त परामर्श के आलोक में अग्रेतर की कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी ।

व्यवस्था सुनिश्चित कराना

*2534. श्री अवधेश सिंह (क्षेत्र संख्या-123 हाजीपुर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वैशाली जिलान्तर्गत हाजीपुर विधान सभा क्षेत्र के हाजीपुर शहर के गुदरी रोड़, राजपूत नगर, वीरकुंवर सिंह कॉलोनी सहित पूरे शहरी क्षेत्र में पानी का पाइप लाइन लगाने के क्रम में सड़क को तोड़ दिया गया है परंतु अभीतक बिछाये गये पाइप लाइन से पानी की आपूर्ति नहीं हो रही है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त स्थानों के सड़कों के मरम्मतीकरण एवं पानी की सप्लाई की व्यवस्था सुनिश्चित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

दोषी पर कार्रवाई

*2535. श्री संदीप सौरभ (क्षेत्र संख्या-190 पालीगंज)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार में मुख्यमंत्री सात निश्चय के हर घर नल-जल योजना पटना जिला के पालीगंज प्रखण्ड के लालगंज सेहरा पंचायत एवं दुल्हिनबाजार प्रखण्ड के उलार सौरभपुर पंचायत में कराये गये कार्य में जगह-जगह टंकी, पाइप एवं टूंटी टूटे हुये हैं, यदि हाँ, तो क्या सरकार इसकी जाँच कराकर दोषी पर कार्रवाई करते हुये टंकी पाइप एवं टूटी बदलकर उक्त योजना का लाभ लोगों को देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

दोषी पर कार्रवाई

*2536. डॉ० सुनील कुमार (क्षेत्र संख्या-172 बिहारशरीफ)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नालंदा जिला के बिहारशरीफ नगर निगम के वार्डों में हर घर नल-जल योजना का कार्य वर्ष 2017 से ही किया जा रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त संवेदक द्वारा वार्ड में पाइप बिछाने के लिये तोड़े गये गलियों का रिस्टोरेशन नहीं किया गया है तथा अपूर्ण कार्य के बदले भी भुगतान प्राप्त किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त अनियमितता की जाँच कराते हुये दोषी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

Optimized by www.ImageOptimizer.net

औद्योगिक इकाई स्थापित कराना

*2537. श्री मोहम्मद अनजार नईमी (क्षेत्र संख्या-52 बहादुरगंज)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिला अन्तर्गत प्रखंड बहादुरगंज, दिघलबैंक, टेढागाछ में चावल, गेहूं, मक्का की खेती बड़े पैमाने पे की जाती है, लेकिन खाद्य प्रसंस्करण औद्योगिक इकाई स्थापित नहीं होने के कारण किसानों को उक्त फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है तथा अपना फसल औने-पौने दाम पर बेचने को मजबूर है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त प्रखंडों में खाद्य प्रसंस्करण औद्योगिक इकाई स्थापित करना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) मूलत: यह प्रश्न उद्योग विभाग, बिहार, पटना से संबंधित है। कृषि विभाग, बिहार सरकार द्वारा फोकस क्षेत्र (चाय, मखाना, मक्का, मधु, फल एवं सब्जी बीज एवं औषधीय पौधे) के लिये बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति, 2020 (BAIPP) की शुरुआत की गयी है।

(2) कृषि विभाग, बिहार सरकार द्वारा फोकस क्षेत्र (चाय, मखाना, मक्का, मधु, फल एवं सब्जी, बीज एवं औषधीय पौधे) के लिये बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति, 2020 (BAIPP) के तहत 25.00 लाख रुपये से 5.00 करोड़ रुपये तक इन क्षेत्रों में लगाये जाने वाले प्रसंस्करण उद्योगों में निवेश करने पर परियोजना लागत का पूंजीगत अनुदान (निजी 15 प्रतिशत,, FPOs 25 प्रतिशत तथा EBC, SC/ST के लिये 5 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान) का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त लाभ उद्योग विभाग तथा अन्य योजनाओं से प्राप्त किया जा सकता है। दिनांक 1 सितम्बर, 2020 से BAIPP पूरे राज्य में लागू है।

नाला का निर्माण

*2538. श्री विद्या सागर केशरी (क्षेत्र संख्या-48 (फारबिसगंज)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिला अन्तर्गत फारबिसगंज नगर परिषद् के सभी सड़क एवं नाला जर्जर रहने के कारण नाले का पानी सड़कों पर जमा हो जाता है, जिससे आवागमन प्रभावित होता है, यदि हाँ, तो सरकार जनहित में फारबिसगंज नगर परिषद् में मास्टर प्लान बनाकर शहर के जर्जर सड़क एवं गंदे पानी के बहाव के लिये नाले का निर्माण करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*2539. श्री अखतरूल ईमान (क्षेत्र संख्या-56 अमौर)--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 19 नवम्बर, 2020 को प्रकाशित शीर्षक "भूमिहीनों को मुफ्त जमीन की योजना कागज पर ही दिख रही" के आलोक में क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि जिला पूर्णियाँ, किसनगंज, अररिया सहित पूरे राज्य में ऑपरेशन बसेरा के तहत भूमिहीन रैयतों को घर बनाने के लिये उसे 5 डिसमिल जमीन उपलब्ध कराने का प्रावधान है ;

(2) क्या यह बात सही है कि विभागीय पदाधिकारियों की उदासीनता एवं भ्रष्टाचार में लिप्तता के कारण उक्त योजना कार्यान्वित नहीं हो पा रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार भूमिहीन रैयतों को घर बनाने हेतु उत्पन्न की गयी लापरवाही को दूर करने के लिये कौन-सी कार्रवाई कबतक करने का विचार रखती है ?

प्रभारी मंत्री--(1) उत्तर स्वीकारात्मक है ।

(2) उत्तर अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि विभाग द्वारा संचालित "अभियान बसेरा" कार्यक्रम के तहत सर्वेक्षित गृह विहीन परिवारों की कुल संख्या 129842 है। जिसमें से 93310 परिवारों को वासभूमि उपलब्ध कराया जा चुका है। शेष 36532 परिवारों को वासभूमि उपलब्ध कराने की कार्रवाई प्रक्रिया अन्तर्गत है ।

(3) खण्ड (2) में स्थिति स्पष्ट की जा चुकी है ।

Optimized by www.ImageOptimizer.net

कार्रवाई करना

*2540. श्री पंकज कुमार मिश्र (क्षेत्र संख्या-29 रून्नीसैदपुर)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के कृषि विज्ञान केन्द्र, बलहा, मधुसूदन में वर्मी कम्पोस्ट का व्यावसायिक उत्पादन 2 वर्ष पूर्व में शुरू करना था परंतु इसके लिये भारत सरकार एवं बिहार सरकार द्वारा दी जानेवाली सहायता अनुदान की राशि अबतक नहीं दिये जाने से वर्मी कम्पोस्ट का व्यावसायिक उत्पादन शुरू नहीं किया जा सका है ;

(2) क्या यह बात सही है कि इस संबंध में विगत एक वर्ष पूर्व तत्कालीन निदेशक, कृषि विज्ञान केन्द्र, सीतामढ़ी ने आई0सी0ए0आर0 के जोनल डायरेक्टर, कोलकाता और जोनल डायरेक्टर, पटना को भी पत्र लिखा गया, परंतु अबतक कोई कार्रवाई नहीं की गई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कृषि विज्ञान केन्द्र, बलहा, मधुसूदन, सीतामढ़ी में वर्मी कम्पोस्ट का व्यावसायिक उत्पादन शुरू करने की कौन-सी कार्रवाई कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चापाकल गड़वाना

*2541. श्री प्रहलाद यादव (क्षेत्र संख्या-167 सूर्यगढ़ा)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि लखीसराय जिला में खराब चापाकल को विभाग द्वारा हजारों की संख्या में उखाड़ा गया है, परंतु उखाड़े गये चापाकल की जगह अभीतक चापाकल नहीं गाड़ा गया है, जबकि विभाग द्वारा उखाड़े गये चापाकल की जगह नया चापाकल गाड़ा जाना है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त जिला में उखाड़े गये चापाकल की जगह जनहित में नया चापाकल गड़वाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाना

*2542. श्री विजय कुमार (क्षेत्र संख्या-169 शेखपुरा)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के शहरी क्षेत्रों में सुरक्षा के लिये सार्वजनिक स्थलों, संवेदनशील स्थानों एवं चौक-चौराहों पर सुरक्षा हेतु सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाने की सरकार की योजना लागू है ;

(2) क्या यह बात सही है कि शेखपुरा जिलान्तर्गत शेखपुरा नगर परिषद् के सभी महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थलों, संवेदनशील स्थानों, चौक-चौराहों एवं गिरिहिंडा पहाड़ पर स्थित बाबा कामेश्वर नाथ मंदिर पर सी0सी0टी0वी0 कैमरा उपलब्ध नहीं है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त नगर परिषद् में सर्वेक्षण कराकर वर्णित स्थलों पर सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

जलापूर्ति कराना

*2543. श्री अमरजीत कुशवाहा (क्षेत्र संख्या-106 जीरादेई)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीवान जिलान्तर्गत मैरवा प्रखंड में एक जलमीनार त्वरित शहरी जलापूर्ति योजना के अन्तर्गत 199.72 लाख रुपया के लागत से 2008 में बना है, जिससे जलापूर्ति नहीं हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त जलमीनार से जलापूर्ति कबतक सुनिश्चित कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

Optimized by www.ImageOptimizer.net

पक्कीकरण कराना

*2544. श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह (क्षेत्र संख्या-221 नवीनगर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिला के दानापुर के जमसोत नगर पंचायत के मठियापुर स्थित वास्तु विहार फेज 3 यदुवंश पथ का पक्कीकरण विगत चार माह पूर्व किया गया था, परंतु उक्त पथ के अंतिम छोर हनुमान मंदिर के पास श्री राम इंकलेव एवं वास्तु विहार के शेष पथांश का पक्कीकरण नहीं किये जाने के कारण वाशिंदों को आवागमन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त पथ में शेष पथांश को कबतक पक्कीकरण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बाजार लगवाना

*2545. श्री मनोज कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-16 कल्याणपुर)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला अन्तर्गत प्रखंड कल्याणपुर में सरकारी परती जमीन पर मनरेगा हाट बनकर तैयार है, जहाँ बाजार नहीं लगकर सड़क के किनारे लगता है जिस कारण आवागमन एवं परिवहन में असुविधा का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त मनरेगा हाट स्थल पर कबतक बाजार लगाने की विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अतिक्रमणमुक्त कराना

*2546. श्री सुधांशु शेखर (क्षेत्र संख्या-31 हरलाखी)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिले के गुरारू प्रखंड के गुड़रू पंचायत के बगड़ीहा गाँव में बगड़ीहा मोड़ से रविन्द्र पाल के घर से बिन्देश्वर चंद्रवंशी तक आहर को अतिक्रमणकारियों द्वारा पूरी तरह अतिक्रमण कर मकान बना लिया गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त स्थानों को अतिक्रमणकारियों से अतिक्रमण मुक्त कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जलमीनार का निर्माण

*2547. श्री राम प्रवेश राय (क्षेत्र संख्या-100 बरौली)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत बरौली प्रखंड में सामुदायिक पेयजल आपूर्ति हेतु जलमीनार के छिद्रण का कार्य वर्ष 1990 में ही पूरा कर लिया गया है परंतु अभीतक जलमीनार के निर्माण का कार्य अधूरा है तथा पाइप भी नहीं बिछाया गया है जिससे स्थानीय लोग जलापूर्ति की समस्या का सामना कर रहे हैं, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त जलमीनार का निर्माण कार्य पूर्ण कराकर चालू करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

दोषी पर कार्रवाई

*2548. डॉ0 सत्येन्द्र यादव (क्षेत्र संख्या-114 मांझी)--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रति यूनिट 5 किलो राशन देने का प्रावधान है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सारण जिला के सभी प्रखंडों में प्रति यूनिट 5 किलो के जगह प्रति यूनिट 4 किलो राशन का वितरण किया जाता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इसकी जाँच कराकर दोषी पर कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक ।

(2) अस्वीकारात्मक ।

(3) कोई विशिष्ट परिवाद प्राप्त होने पर जाँच कराकर विधिसम्मत् कार्रवाई की जायेगी ।

Optimized by www.ImageOptimizer.net

कब्जा दिलाना

*2549. श्री रत्नेश सादा (क्षेत्र संख्या-74 सोनबरसा)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सहरसा जिलान्तर्गत सोनवर्षा प्रखंड के कासनगर पंचायत के क्रमशः नवल किशोर सादा, श्री अमरेश कुमार अमर, श्री सोमन ऋषिदेव, श्री कमलेश्वर ऋषिदेव, श्री विजय ऋषिदेव एवं अन्य को वर्ष 1992 में प्रति व्यक्ति एक-एक एकड़ सरकारी जमीन का बंदोवस्त किया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त सभी महादलित परिवारों की सरकारी जमीन का पर्चा मिलने के बावजूद भी अंचलाधिकारी सोनवर्षा के द्वारा जमीन का रसीद काटने में बेबजह परेशान किया जा रहा है, जिससे आवंटित भू-धारियों को जमीन कब्जा लेने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उपरोक्त महादलित परिवार को आवंटित जमीन का रसीद काटने एवं जमीन पर कब्जा दिलाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

राशन कार्ड उपलब्ध कराना

*2550. श्री सुधांशु शेखर (क्षेत्र संख्या-31 हरलाखी)--क्या मंत्री, खाद्य उपभोक्ता एवं संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि हरलाखी प्रखंड के विशौल पंचायत अंतर्गत सोहपुर गांव के वार्ड नं0-13 निवासी रामकली देवी, पति-जयराम नायक, आवेदन संख्या-07021205300172625, आवेदक मंजुला देवी पति-विन्देश्वर झा, आवेदन संख्या-07021205300172692 है सहित लगभग 30 लोगों ने खाद्य सुरक्षा राशन कार्ड का अप्लाई 2017 एवं 2018 में किया गया था परंतु आजतक इनलोगों को राशन कार्ड नहीं मिला जिससे वे सरकार के महत्वाकांक्षी योजना से वंचित है, यदि हाँ, तो क्या सरकार इन लोगों को राशन कार्ड उपलब्ध कराना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--अस्वीकारात्मक । जिला पदाधिकारी, मधुबनी के पत्रांक-356, दिनांक 9 मार्च, 2021 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए प्रतिवेदित किया गया है कि हरलाखी प्रखंड के विशौल पंचायत में वर्ष 2017 से अद्यतन आर0 टी0 पी0 एस0 काउंटर से 575 आवेदन पत्र तथा जीविका के माध्यम से 610 आवेदन पत्र अर्थात् कुल 1036 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। इनमें से कुल 665 नये राशन कार्ड निर्गत किये गये हैं तथा कुल 278 आवेदनों को विभागीय पत्रांक 8815, दिनांक 19 नवम्बर, 2015 में निर्धारित अपात्रता के मानकों यथा 10,000 रुपये से अधिक आय, तीन कमरे से अधिक पक्के का मकान तीन या चार चक्का गाड़ी एवं अन्य कारणों के आधार पर अस्वीकृत किया गया है तथा शेष 140 आवेदन पत्र नये राशन कार्ड निर्गमन हेतु प्रक्रियाधीन है।

रामकली देवी, पति-जयराम नायक, आवेदन सं0-07021205300172625 एवं आवेदिका मंजुला देवी, पति विन्देश्वर झा, आवेदन संख्या-07021205300172692 को रु0 10,000 से अधिक आया का स्रोत रहने के आधार पर अपात्रता के कारण अस्वीकृत किया गया है।

वर्तमान में भी राशनकार्ड निर्गमन हेतु प्राप्त आवेदनों की जाँचोपरांत विभागीय निदेश के आलोक में पात्र आवेदकों को राशनकार्ड निर्गत किया जा रहा है।

सड़क-सह-नाला का निर्माण

*2551. श्री महानंद सिंह (क्षेत्र संख्या-214 अरवल)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत पटना नगर निगम क्षेत्र स्थित वार्ड संख्या-2 के पाटलिपुत्र स्टेशन से रूकनपुरा थाना संख्या-18 एवं सिकन्दरपुर थाना संख्या-17 में जल-जमाव के साथ ही सड़क निर्माण नहीं होने से आमजन को आवागमन में कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक वर्णित स्थल पर सड़क-सह-नाला का निर्माण कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

दोषी पर कार्रवाई

*2552. श्री विजय कुमार मंडल (क्षेत्र संख्या-210 दिनारा)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला अन्तर्गत बिक्रमगंज नगर परिषद् में हर घर नल जल योजना अन्तर्गत मानक के अनुरूप कार्य नहीं किए जाने के कारण उक्त नगर परिषद् में आजतक जलापूर्ति प्रारंभ नहीं हो सका है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त नगर परिषद् में हर घर नल-जल योजना अंतर्गत कराये गए कार्य की जांच कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--समाहर्ता, भागलपुर के पत्रांक 1018/रा0, दिनांक 25 फरवरी, 2021 से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार वस्तुस्थित यह है कि भागलपुर नगर निगम वार्ड नं0-1 से 51 तक के विभिन्न वार्डों में रहने वाले भूमिहीन, गृहविहीन गरीब विस्थापित परिवारों के द्वारा सूची आवेदन के साथ समर्पित की गयी थी। प्राप्त सूची का सत्यापन कराया जा रहा है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 813, दिनांक 3 जुलाई, 2015 के आलोक में सत्यापान व जांचोपरांत सुयोग्य श्रेणी के परिवारों को वास योग्य भूमि देने की कार्रवाई की जाएगी ।

नगर पंचायत का गठन

*2553. श्री जनक सिंह (क्षेत्र संख्या-116 तरैया)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत पानापुर प्रखंड के रसौली पंचायत एवं धेनुकी पंचायत के लगुनी गाँव तथा महम्मदपुर पंचायत के तुर्की एवं फकुली गाँव तथा भोहरा पंचायत के रामपुर खरौनी गाँव और बकवा पंचायत के पानापुर गाँव की आबादी 15 हजार से अधिक है और नगर पंचायत बनाने की सभी अर्हताओं को पूरा करता है, यदि हाँ तो सरकार उक्त पंचायतों के गाँवों को मिलाकर पानापुर नगर पंचायत का गठन करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--बिहार नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2020 के आलोक के विभागीय पत्रांक 1713, दिनांक 14 मई, 2020, 1769, दिनांक 20 मई, 2020 एवं 4180, दिनांक 18 दिसम्बर, 2020 द्वारा राज्य के सभी जिला पदाधिकारियों ने नए नगर निकायों के गठन पूर्व से गठित नगर निकायों का उत्क्रमण एवं नगर निकायों के क्षेत्र विस्तार के संबंध में समीक्षा कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था ।

इस संदर्भ में जिला पदाधिकारी, सारण से प्राप्त प्रस्तावों में नगर पंचायत, पानापुर के गठन का प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ । फलस्वरूप उक्त नगर पंचायत के गठन पर विचार नही किया गया है। जिला पदाधिकारी, सारण से प्रस्ताव प्राप्त होने पर बिहार नगरपालिका अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में विचार किया जा सकेगा ।

Optimized by www.ImageOptimizer.net

सड़क का निर्माण

*2554. श्री रितलाल राय (क्षेत्र संख्या-186 दानापुर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत दानापुर प्रखंड रंजन पथ (गोला रोड) में वार्ड नं० 38 के लेन नं० 10 की सड़क की स्थिति काफी जर्जर है, जिसके कारण जल-जमाव की समस्या एवं लोगों को पैदल चलने मे काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त सड़क को बरसात के पूर्व जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

शवदाह गृह स्थानान्तरित करना

*2555. श्री भाई वीरेन्द्र (क्षेत्र संख्या-187 मनेर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना शहर स्थित पाटलीपुत्र अंचल के वार्ड नं० 26 के बांसघाट शवदाह गृह में सामान्य एवं कोविड-19 से संक्रमित मृतकों का अन्त्येष्टि संस्कार किया जाता है, परंतु वर्तमान समय में बाँसघाट शवदाह गृह से सटे उत्तरी मंदिरी एवं अन्य मुहल्लों में विगत 30 वर्षों से घनी आबादी बस जाने से निवास करने वाले बड़ी संख्या में लोग गंभीर बीमारी से ग्रसित हो रहें है तथा विगत 6 महीनों में 7 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक वर्णित शवदाह गृह को अन्यत्र स्थापित कर संचालित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जाँच कराना

*2556. श्री शाहनवाज (क्षेत्र संख्या-50 जोकीहाट)--दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 12 दिसम्बर, 2020 को प्रकाशित शीर्षक ''नकली खाद बीज पर लगाम लगाने में प्रशासन विफल'' के आलोक में क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत जोकीहाट प्रखंड में बड़े पैमाने पर सभी तरह के नकली खाद की बिक्री चल रही है, जिसमें कैल्सियम नाईट्रट के बदले दानेदार नकली खाद की बिक्री हो रही है जिसके कारण खेतों में खाद्य उपयोग करने पर किसानों का फसल बबार्द हो रहा है, यदि हाँ, तो सरकार इसकी जाँच कराकर उक्त प्रखंड में हो रहे नकली खाद्य की बिक्री पर रोक लगाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पार्किंग जोन बनाना

*2557. श्री इजहारूल हुसैन (क्षेत्र संख्या-54 किशनगंज)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि किशनगंज शहर में बढ़े ट्रैफिक घनत्व होने के कारण अधिक जाम होने से आमजनता को आवागमन में काफी कठिनाई होती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त शहर के रूईधासा पार्क सहित अन्य स्थानों पर गड़ियों की पर्किंग के लिये पर्किंग जोन चिह्नित किया गया है लेकिन पर्किंग जोन का निर्माण अभीतक नहीं किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त शहर में चिह्नित स्थानों को पर्किंग जोन बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

Optimized by www.ImageOptimizer.net

प्रतिनियुक्ति करना

*2558. श्री (मो०) आफाक आलम (क्षेत्र संख्या-58 कसबा)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत कसबा अंचल में 5 अमीन का पद सृजित है, जिसमें वर्तमान में एक पद अमीन सॉविदा पर कार्यरत है एवं 4 अमीन का पद विगत 5 वर्षों से रिक्त है जिसके कारण उक्त प्रखंड में जमीन की नापी एवं जमीन संबन्धित कार्य कराने में काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त प्रखंड में रिक्त पद पर अमीन की प्रतिनियुक्ति कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--आंशिक स्वीकारात्मक है । जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ के प्रतिवेदनानुसार पूर्णियाँ जिलान्तर्गत कसबा अंचल में कुल 03 अमीन का पद स्वीकृत है । स्वीकृत पद के विरुद्ध वर्तमान में एक सॉविदा अमीन कार्यरत है, जिनसे जमीन की नापी एवं जमीन संबंधित अन्य कार्य कराया जा रहा है ।

राज्य के सभी जिलों में अमीन के कुल स्वीकृत पद 1881 के विरुद्ध कुल 1767 रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु विभागीय पत्रांक 420(4), दिनांक 14 नवम्बर, 2019 द्वारा अधियाचना बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद को भेजी गयी है । बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद द्वारा कुल 1767 पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशन के उपरांत प्राप्त आवेदनों की Shortlisting की कार्रवाई की जा चुकी है । मुख्य परीक्षा आयोजित करने की कार्रवाई प्राक्रियाधीन है । मुख्य परीक्षा का परीक्षा फल प्रकाशन के उपरांत अनुशंसा सूची प्राप्त होते की अमीन के रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति की कार्रवाई की जायेगी ।

पर्चा दिलाना

*2559. श्री विजय सिंह (क्षेत्र संख्या-68 बरारी)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिलान्तर्गत कुर्सेला प्रखंड में गंगा नदी के कटाव से पीड़ित परिवारों को मुरादपुर पंचायत के इंदिराग्राम, बिन्द टोला, गांधी ग्राम बिन्द टोला, नया टोला, बालू टोला एवं तीनघड़िया हरिजन टोला में बसाया गया है, परन्तु उक्त परिवारों को वासगीत पर्चा नहीं दिये जाने के कारण सरकारी सुविधा से वंचित है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त गाँव में बसे परिवारों को वासगीत पर्चा दिलाकर सरकारी सुविधा का लाभ दिलवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पंजीकरण कराना

*2560. डॉ० रामानन्द यादव (क्षेत्र संख्या-185 फतुहा)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत फतुआ विधान सभा क्षेत्र में फतुहा नगर परिषद् के वार्ड नं० 1 महल्ला-सम्मसपुर में श्मशान घाट हैं, जिसमें पटना जिला के अलावे कई जिलों से लोग यहाँ आकर प्रतिदिन सैकड़ों शवों का दाह-संस्कार करते है । लेकिन सरकार द्वारा मृतक के पंजीकरण हेतु उक्त घाट पर कोई व्यवस्था नहीं की गयी हैं जिसके कारण मृतकों के परिजनों को मृत्यु प्रमाण-पत्र बनवाने में काफी परेशानी होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त श्मशान घाट पर पंजीकरण की व्यवस्था कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

Optimized by www.ImageOptimizer.net

दोषी पर कार्रवाई

*2561. श्री पवन कुमार जायसवाल (क्षेत्र संख्या-21 ढाका)--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कोविड-19 के कारण राज्य में विभागीय निर्देश के आलोक में जनवरी, से अप्रैल, 2020 तक उपभोक्ताओं को राशन उठाव करने में पॉश मशीन पर उपभोक्ताओं को अंगूठा का छाप नहीं देना था, डीलर एवं ए०एम०ओ० के सत्यापन पर उपभोक्ताओं को राशन देने का प्रावधान था ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य में 237900 नये उपभोक्ताओं का नन डिजिटल कार्ड जनवरी, 2020 में बनाया गया है जिसे मई, जून, 2020 में खाद्य आपूर्ति के वेबसाईट से हटा दिया गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार इसकी जाँच कराकर दोषी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) अस्वीकारात्मक है । भारत सरकार द्वारा जन-वितरण प्रणाली में पॉश यंत्रों के अधिष्ठापन को अनिवार्य बनाते हुये बायोमेट्रिक सत्यापन को भी अनिवार्य कर दिया गया है तथा कोरोना संक्रमण काल में बायोमेट्रिक सत्यापन में किसी प्रकार की छूट नहीं दी गयी थी। राज्य में दिसम्बर, 2019 से उचित मूल्य विक्रेताओं की दुकानों पर पॉश यंत्रों को अधिष्ठापित किया गया और धीरे-धीरे बायोमेट्रिक सत्यापन पर जोर दिया गया। जून, 2020 के वितरण चक्र से बायोमेट्रिक सत्यापन को अनिवार्य किया गया।

(2) अस्वीकारात्मक है । Non Digital Card की कोई अवधारणा अब आधार आधारित जन-वितरण प्रणाली में नहीं है और प्रत्येक लाभुक परिवार के प्रत्येक सदस्य की आधार सीडिंग अनिवार्य है। चूँकि आधार सत्यापन के बिना किसी लाभुक को राशन नहीं दिया जा सकता है, इसलिये सम्प्रति ऐसा कोई राशन कार्ड नहीं है जिसमें कम-से-कम एक भी सदस्य का आधार सत्यापित न हो। वर्तमान में परिवार के प्रत्येक सदस्य की आधार सीडिंग के लिये विशेष एवं नियमित अभियान चलाये जा रहे हैं। भारत सरकार द्वारा शत-प्रतिशत आधार सीडिंग की अन्तिम तिथि दिनांक 31 मार्च, 2021 रखी गयी है। आधार संख्या विहीन राशन कार्ड जन-वितरण प्रणाली में NFSA के तहत अनुमान्य नहीं है। उल्लेखनीय है कि कोरोना संक्रमण काल में अभीतक 26.09 लाख नये राशन कार्ड निर्गत किये गये है। विभागीय पत्रांक 1046, दिनांक 26 फरवरी, 2021 द्वारा जिलाधिकारियों को नये राशन कार्ड पात्रता के अनुसार जारी करने का निदेश दिये गये हैं ।

महाविद्यालय खोलना

*2562. श्री चन्द्रशेखर (क्षेत्र संख्या-73 मधेपुरा)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधेपुरा जिला में हॉर्टिकल्चर महाविद्यालय नहीं है, जिसके कारण उक्त जिला के छात्र-छात्राओं को कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार यहाँ उक्त महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पशु उपलब्ध कराना

*2563. डॉ० शमीम अहमद (क्षेत्र संख्या-12 नरकटिया)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य स्तर पर गरीब बी०पी०एल० परिवारों को जीवनयापन के लिये सरकारी स्तर पर पशुपालन हेतु बैंक से 50 प्रतिशत राशि पर ऋण देने का प्रावधान किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के छौड़ादानों प्रखण्ड के ग्राम खेरवा के असगर इमाम पिता मो० जिकुरला, नगीना साह, पिता-समसूल साह एवं अन्य बी०पी०एल० परिवारों को पशुपालन हेतु बैंक से लोन नहीं दिये जाने के कारण बी०पी०एल० परिवार उक्त योजना के लाभ से वंचित है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त बी०पी०एल० परिवारों को मुफ्त में पशु उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

Optimized by www.ImageOptimizer.net

जाँच कराना

*2564. श्रीमती नीतू कुमारी (क्षेत्र संख्या-236 हिसुआ)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नावादा जिला अन्तर्गत हिसुआ विधान सभा क्षेत्र के अकबरपुर प्रखण्ड के तेयार पंचायत में डब्लू०आइ०एम०सी० योजना सहित विगत 5 वर्षों में जो नल-जल एवं चापाकल की योजना कार्यान्वित कराया गया है, उसमें घोर अनियमितता बरती गयी है, यदि हाँ, तो क्या सरकार जाँच कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि नावादा जिला अन्तर्गत हिसुआ विधान सभा क्षेत्र के तेयार पंचायत में कुल 13 वार्ड है, जिसमें से 4 वार्ड 3ए 4ए 5ए 10ए में पंचायती राज विभाग द्वारा कार्य कराया जाना है तथा शेष 9 वार्ड (1ए 2ए 6ए 7ए 8ए 9ए 11ए 12ए 13ए) में PHED के द्वारा कार्य कराया जाना है। WIMC वार्ड संख्या 1, 2, 6, 11, 12 एवं 13 में PHED के तहत कार्य कराया जा चुका है तथा सभी वार्डों में जलापूर्ति चालू है तथा वार्ड संख्या 7, 8 एवं 9 में ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजना के विस्तारीकरण का कार्य करा दिया गया है, जिसमें जलमीनार से सूचारू रूप से जलापूर्ति की जा रही है।

चूंकि PHED द्वारा कुल 9 वार्डों में हर घर नल का जल योजना के तहत कार्य कराये गये है। ये सभी योजना पूर्ण व चालू है। इन योजनाओं में कुल 2478 गृह जल संयोजन दिये गये हैं, जिससे सभी घरों में पानी मिल रहा है तथा योजना लाभ आम जनता को मिल रहा है। इसलिये इन योजनाओं में कोई अनियमितता का मामला नहीं बनता है।

तेयार पंचायत में विगत 5 वर्षों से 10 अदद चापाकलों का निर्माण कराया गया है, जिसमें 8 अद्द चापाकल चालू है, तथा 02 अद्द चापाकल साधारण मरम्मती हेतु बंद थे, जिसकी मरम्मती कर चालू करा दिया गया है।

नाला का निर्माण

*2565. श्री अवध बिहारी चौधरी (क्षेत्र संख्या-105 सीवान)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीवान शहर के मखदुम सराय से बाबुनिया रोड एवं लालकोढ़ी होते हुये दाहा नदी तक नाला कम चौड़ी एवं नाला जर्जर तथा नाला में गंदगी जाम रहने के कारण पानी का बहाव धीरे-धीरे होता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त नाला को चौड़ीकरण करते हुये नाला का पुनर्निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भुगतान दिलाना

*2566. श्री मिथिलेश कुमार (क्षेत्र संख्या-28 सीतामढ़ी)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत डुमरा प्रखण्ड में लोहिया स्वच्छता मिशन के तहत शौचालय निर्माण का रुपये लाभार्थियों को नहीं दिया गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त प्रखण्ड के लाभार्थियों को लोहिया स्वच्छता मिशन के अन्तर्गत रुपये का भुगतान कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

Optimized by www.ImageOptimizer.net

कार्रवाई करना

*2567. श्री मनोहर प्रसाद सिंह (क्षेत्र संख्या-67 मनिहारी)--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के मनिहारी प्रखंड में उज्ज्वला योजना में जहाना पति-स्व0 शेख जलील, ग्राम-मिर्जापुर एवं अन्य से 1,000-1,000 रुपया लेकर गैस कक्नेशन दिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि दिनांक 13 अप्रील, 2020 को इसमें से एक लाभुक को सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, मनिहारी की खाता संख्या 3122530052 में सब्सिडी राशि रूप में 844 रुपया आया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उज्ज्वला योजना में बरती गयी अनियमितता की जाँच कर कार्रवाई करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) अस्वीकारात्मक । जिला पदाधिकारी, कटिहार के पत्रांक 316, दिनांक 20 फरवरी, 2021 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदिका जहाना, पति-स्व0 जलील, ग्राम-मिर्जापुर द्वारा लिखित ब्यान दिया गया कि ग्रामीण वितरक गैस एजेंसी गुआगाछी से उज्ज्वला योजनान्तर्गत गैस कनेक्शन लेने में उनसे कोई राशि नहीं लिया गया है ।

(2) स्वीकारात्मक । लाभुक द्वारा बताया गया है कि उसके खाते में राशि प्राप्त हुई है ।

(3) प्रश्न नहीं उठता है ।

सड़क निर्माण कराना

*2568. श्री अचमित ऋषिदेव (क्षेत्र संख्या-47 रानीगंज)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत रानीगंज प्रखंड के ग्राम पंचायत परिहारी, वार्ड नम्बर 12 के ग्राम-गोपालपुर महादलित टोला में 70 घर महादलित बसे हुये हैं जिन्हें 300 मीटर की दूरी पर स्थित लखन ऋषिदेव के घर से गोपालपुर, वर्मा कॉलोनी पक्की सड़क तक आने-जाने के लिये सम्पर्क सड़क नहीं है और निजी जमीन होकर आना-जाना पड़ता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार जमीन का अधिग्रहण कर सम्पर्क सड़क निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बस पड़ाव का निर्माण

*2569. श्री मुकेश कुमार रौशन (क्षेत्र संख्या-126 महुआ)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वैशाली जिला का मुख्यालय हाजीपुर, उत्तर बिहार का प्रवेश द्वार है जहाँ पूरे राज्य से यात्री वाहनों एवं मालवाहक वाहनों का आवागमन होता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि हाजीपुर में पिछले 4 दशकों से स्थापित अन्तर्राज्यीय बस पड़ाव को सड़क चौड़ीकरण के लिये अतिक्रमण हटाने के दौरान जिला प्रशासन के द्वारा ध्वस्त कर दिया गया है, जिसकी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं रहने के कारण आमजनता को परेशानी हो रही है तथा हमेशा जाम की समस्या बनी रहती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार हाजीपुर में उच्चस्तरीय अन्तर्राज्यीय बस पड़ाव के निर्माण का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कर्मचारियों की बहाली

*2570. श्री कुमार शैलेन्द्र (क्षेत्र संख्या-152 बिहपुर)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत खरीक अंचल के छः राजस्व हल्कों में मात्र दो राजस्व कर्मचारी एवं नारायणपुर अंचल के ग्यारह राजस्व हल्कों में मात्र एक राजस्व कर्मचारी कार्यरत है ;

Optimized by www.ImageOptimizer.net

(2) क्या यह बात सही है कि खरीक और नारायणपुर अंचल के सभी कर्मचारियों के पास अतिरिक्त प्रभार रहने के कारण निजी लोगों को अवैध रूप से जमीन का रसीद काटना एवं अभिलेख चढ़ाने का काम राजस्व कर्मचारी करवाते हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इसकी जाँच कराकर दोषी पर कार्रवाई करते हुये उक्त अंचल में स्वीकृत पद के अनुरूप राजस्व कर्मचारी पदस्थापित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक । भागलपुर समाहरणालय के प्रतिवेदनानुसार यह सही है कि खरीक अंचल में कुल दो राजस्व कर्मचारी एवं नारायणपुर अंचल में एक राजस्व कर्मचारी पदस्थापित है ।

(2) अस्वीकारात्मक । राजस्व कर्मचारी द्वारा निजी व्यक्तियों से कार्य कराने का मामला प्रकाश में नहीं आया है । सम्प्रति खरीक, नवगछिया अंचल सहित जिला के सभी अंचलों में राजस्व संबंधी प्राय: कार्य ऑनलाइन माध्यम से किये जा रहे हैं ।

(3) कंडिका 2 में स्थिति स्पष्ट की गयी है । बिहार के सभी जिलान्तर्गत सभी अंचलों में स्वीकृत पद के विरुद्ध राजस्व कर्मचारी के 4353 पद पर नियमित नियुक्ति हेतु अधियाचना बिहार कर्मचारी चयन आयोग को भेजी गयी है ।

बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा प्रारंभिक स्तर का परीक्षा में चयनित अभ्यार्थियों का मुख्य परीक्षा दिनांक 25 दिसम्बर, 2020 को सम्पन्न किया गया है ।

बिहार कर्मचारी चयन आयोग से सफल अभ्यर्थियों की अनुशंसा सूची प्राप्त होते ही नियमित नियुक्ति की कार्रवाई की जायेगी ।

दोषी पर कार्रवाई

*2571. श्री अमरजीत कुशवाहा (क्षेत्र संख्या-106 जीरादेई)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीवान जिला के मैरवा नगर पंचायत के वार्ड नम्बर 1 एवं अन्य में हर घर नल जल योजना अन्तर्गत पाइप गाड़े जाने की गहराई 1 मीटर के जगह पर एक से डेढ़ इंच पर गाड़ा गया है, जिससे जगह-जगह पाइप भी फटना प्रारंभ हो गया है, यदि हाँ, तो सरकार इसकी जाँच कराकर कबतक दोषी पर कार्रवाई करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई स्थगित करना

*2572. श्री तेजस्वी प्रसाद यादव (क्षेत्र संख्या-128 राघोपुर)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वैशाली जिला के राघोपुर अंचलान्तर्गत मौजा-सुकुमारपुर, थाना नम्बर 341 का कुल 331.58 एकड़ रैयती एवं सरकारी भूमि को पटना जिला में हस्तांतरण करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त भूमि के अन्तर जिला हस्तांतरण में उक्त क्षेत्र के आमजनों की कोई राय नहीं ली गयी है तथा गणतंत्र की जननी ऐतिहासिक वैशाली जिला के भौगोलिक स्थिति को बदला जा रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार वैशाली के धरोहर को अक्षुण्ण बनाये रखने के उद्देश्य से अंचल राघोपुर के मौजा-सुकुमारपुर, थाना संख्या 341 की भूमि को पटना जिला में हस्तांतरण संबंधी कार्रवाई को स्थगित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

Optimized by www.ImageOptimizer.net

दोषी पर कार्रवाई

*2573. डॉ० रामानुज प्रसाद (क्षेत्र संख्या-122 सोनपुर)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि विभागीय पत्रांक 456/457, दिनांक 6 मार्च, 2018 के द्वारा कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, हिलसा द्वारा हिलसा नगर पंचायत के कौशीश नगर में निर्भय कुमार एवं वार्ड नंबर-20 के रामप्रीत यादव एवं अन्य लोंगों के घर के पास चापाकल लगाकर मुख्यालय को सूचना उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया था, जिसका अनुपालन न कर कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, हिलसा ने निजी स्वार्थ में एवं व्यक्ति विशेष के दबाव में अन्य स्थानों पर चापाकल लगा दिया गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार इसकी जाँच कर दोषी पर कार्रवाई करते हुए उक्त विभागीय आदेशानुसार चापाकल लगाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--आंशिक स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय पत्रांक 456, दिनांक 6 मार्च, 2018 द्वारा माननीय स0 वि0 प0 डॉ0 उपेन्द्र प्रसाद द्वारा 32 अदद् अनुशंसित स्थलों की सूची संलग्न करते हुए नियमानुकूल कार्रवाई करने हेतु निदेशित की गई ।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में हिलसा प्रमंडल को पत्रांक 6/रा0यो0-1013/2018-334 (आ0), दिनांक 5 दिसम्बर, 2018 के द्वारा 75 अदद् चापाकल निर्माण का लक्ष्य था। उक्त लक्ष्य से वैसे टोलों जहाँ गर्मी के मौसम में सभी पेयजल स्रोतों अकार्यशील हो गये थे तथा टैंकरों के माध्यम से जलापूर्ति देनी पड़ी थी, वैसे स्थलों को चिन्हित कर प्राथमिकता के आधार पर हिलसा में 21 अदद्, करायपरशुराय में 21 अदद्, थरथरी प्रखंड में 02 अदद्, परवलपुर प्रखंड में 06 अदद्, इस्लामपुर प्रखंड में 13 अदद्, एकंगरसराय प्रखंड में 12 अदद् चापाकलों का निर्माण कराया गया है ।

माननीय सदस्य विधान परिषद् डॉ0 उपेन्द्र प्रसाद द्वारा अनुशंसित स्थलों की जाँच कराने पर पाया गया कि इन स्थलों पर विभागीय मापदण्डों के अनुरूप पेयजल की कोई समस्या नहीं है ।

पशु चिकित्सा केन्द्र खुलवाना

*2574. श्री मनोज मंजिल (क्षेत्र संख्या-195 अगियाँव)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत गड़हनी प्रखंड में स्थित पशु चिकित्सा केन्द्र पाँच वर्षों से बंद पड़ा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त पशु चिकित्सालय केन्द्र को खोलने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

निदेशालय का गठन

*2575. श्री संजय सरावगी (क्षेत्र संख्या-83 दरभंगा)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मध्यप्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा एवं देश के कई अन्य राज्यों में कृषि अभियंत्रण निदेशालय गठित है, जबकि बिहार राज्य कृषि विभाग में कृषि अभियंत्रण निदेशालय गठित नहीं है, यदि हाँ, तो क्या सरकार कृषि उत्पादकता बढ़ाने एवं कृषकों का आय दोगुनी करने के उद्देश्य से अन्य राज्यों की तरह बिहार में भी कृषि अभियंत्रण निदेशालय कबतक गठित करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

Optimized by www.ImageOptimizer.net

शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना

*2576. श्री श्रीकान्त यादव (क्षेत्र संख्या-113 एकमा)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना सरकार की कार्य योजना में है ;

(2) क्या यह बात सही है कि छपरा जिला के एकमा प्रखंड अंतर्गत 113, एकमा विधान सभा क्षेत्र में विगत 40 वर्षों से अवस्थित तीन जलमीनार से पानी की आपूर्ति नहीं होती है, भू-जल प्राप्ति हेतु अधिकांश चापाकल मरम्मती के अभाव में बंद है तथा स्टेट ट्यूबवेल मरम्मती के अभाव में बंद है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड (2) में अंकित समस्याओं का निराकरण कर उक्त क्षेत्र के हर नागरिक को शुद्ध पेयजल आपूर्ति कबतक कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक ।

(2) स्वीकारात्मक । एकमा प्रखंड मुख्यालय स्थित तीनों जलमीनार नगर पंचायत एकमा अन्तर्गत आते हैं जिनका संचालन नगर पंचायत, एकमा द्वारा किया जाता है। पूर्व के वर्षों में ही निदेशानुसार योजना का हस्तान्तरण नगर पंचायत एकमा को कर दी गई है।

नगर पंचायत क्षेत्र अन्तर्गत कुल 192 अदद् चापाकल है जिसमें 170 अदद् चापाकल चालू है एवं 22 अदद् चापाकल बंद है जिसे विशेष अभियान चलाकर 15 दिन के अंदर मरम्मती करायी जा रही है।

स्टेट ट्यूबवेल का कार्य लघु जल संसाधन विभाग द्वारा किया जाता है, यह विभाग से संबंधित नहीं है।

(3) उपर्युक्त खंड में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

नगर निगम से हटाना

*2577. श्री ललित कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-82 दरभंगा ग्रामीण)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि 85 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि वाले पंचायत महिनाथपुर (मधुबनी) को नवगठित नगर निगम में जोड़ा गया है, जो कि नगर निगम कार्यालय से 11 कि0 मी0 तथा प्रखंड कार्यालय से 06 कि0 मी0 दूर है ;

(2) क्या यह बात सही है कि महिनाथपुर पंचायत के 85 प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा से नीचे है जिसमें 70 प्रतिशत महादलित समाज के लोग हैं, जो नगर निगम का टैक्स देने में असमर्थ हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार महिनाथपुर पंचायत को नगर निगम से हटाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अवैध कब्जा से मुक्त कराना

*2578. श्री गोपाल रविदास (क्षेत्र संख्या-188 फुलवारी (अ0 जा0))--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत राजीवनगर रोड नं0 23 में स्व0 धर्मदास पथ के पास प्लाट सं0 3810, 3814 एवं 3813 आवास बोर्ड के जमीन पर अवैध रूप से भू-माफियों द्वारा कब्जा कर लिया गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त प्लाट संख्या को कबतक अवैध कब्जा से मुक्त कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

Optimized by www.ImageOptimizer.net

मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराना

*2579. श्रीमती रश्मि वर्मा (क्षेत्र संख्या-03 नरकटियागंज)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पश्चिमी चम्पारण के नरकटियागंज के वार्ड नं० 16 में रामजानकी मंदिर परिसर में एक सरकारी तालाब है जहां पर धार्मिक अनुष्ठान, छठ पूजा एवं अन्य मांगलिक अवसरों पर मेला लगता है परंतु मूलभूत सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण लोगों को काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार रामजानकी मंदिर स्थित तालाब के चारों तरफ सीढ़ी घाट, पथ, शौचालय एवं कपड़ा बदलने का रूम बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सड़क एवं नाला का निर्माण

*2580. श्री अवध विहारी चौधरी (क्षेत्र संख्या-105 सीवान)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीवान जिला के सीवान नगर परिषद् के वार्ड नं० 6, 7, 10, 16, 17, 28, 34, 36, 37 एवं 38 में नाला नहीं है और सड़क कच्ची है, जिसके कारण सालोंभर सड़क पर जल-जमाव होता है जिससे वार्डों में कचरा एवं गंदगी बनी रहती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त वार्डों में नाला एवं पक्की सड़क का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पैदल पुल बनाना

*2581. श्री नीतीश मिश्रा (क्षेत्र संख्या-38 झंझारपुर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना में जवाहरलाल नेहरू (बेली रोड) स्थित संजय गांधी जैविक उद्यान के गेट नं०-1 बेली रोड पर आमलोगों विशेष कर बुजुर्गों को पैदल सड़क पार करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि यहाँ पर बिहार के विभिन्न जगहों से हजारों लोग खासकर विद्यालय के छोटे-छोटे बच्चे भ्रमण के लिये प्रतिदिन आते रहते हैं जिसे सड़क पार करने में दुर्घटना का भय बना रहता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जैविक उद्यान के गेट नं०-1 बेली रोड पर उपरिगामी पैदल पुल बनाना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

सड़क मरम्मती कराना

*2582. श्री निरंजन कुमार मेहता (क्षेत्र संख्या-71 बिहारीगंज)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना शहर स्थित बेऊर मोहल्ला में जोड़ा कुआं से उत्तर पश्चिम की तरफ जाने वाली पी० सी० सी० सड़क में नमामि गंगे योजना के तहत जल निकासी हेतु पी० सी० सी० सड़क एक वर्ष पूर्व तोड़कर पाइप बिछाया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त कार्य करने वाली एसेंजी के द्वारा सड़क की मरम्मती नहीं किये जाने के कारण स्थानीय लोगों को आने-जाने में काफी कठिनाई हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त पी० सी० सी० सड़क की मरम्मती कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

जल-जमाव से मुक्त कराना

*2583. श्री अवधेश सिंह (क्षेत्र संख्या-123 हाजीपुर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वैशाली जिलान्तर्गत हाजीपुर शहर के सदर अस्पताल, अंदर किला सहित पूरे शहरी क्षेत्र में बारिस के मौसम में हर वर्ष जल-जमाव होने के कारण आमजनता को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार शहर को जल-जमाव से कबतक मुक्त कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

Optimized by www.ImageOptimizer.net

स्थानान्तरण कराना

*2584. श्री मोहम्मद कामरान (क्षेत्र संख्या-238 गोबिन्दपुर)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत नासरीगंज प्रखंड ग्राम मौना के हाजी इसरार आलम का खाता नं० 447, खेसरा संख्या 936 रकवा 28 डिसमील पुस्तैनी जमीन वर्ष 1969-70 के सर्वे में भूलवश बिहार सरकार के नाम पर अंकित हो गया था, जिसके आलोक में इसरार द्वारा उक्त जमीन के स्थानांतरण हेतु वर्ष 1998 में सिविल कोर्ट, रोहतास में केस संख्या 35 में टाईटेल शुट किया गया जिसका फैसला वर्ष 2009 में इनके पक्ष में आया है तथा उक्त मामले में उच्च न्यायालय, पटना, सिविल कोर्ट, अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी विक्रमगंज एवं जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी,रोहतास द्वारा भी आदेश पारित होने एवं वर्ष 2017-18 तक उक्त जमीन का लगान रसीद करने के बावजूद जमीन का स्थानान्तरण नहीं हुआ है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार हाजी इसरार के पुस्तैनी जमीन को इनके नाम में स्थानांतरण करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*2585. श्री राहुल तिवारी (क्षेत्र संख्या-198 (शाहपुर)--क्या मंत्री, खाद्य उपभोक्ता एवं संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिला के शाहपुर प्रखडान्तर्गत हरिहरपुर पंचायत अन्तर्गत ग्राम-बिमारी के जन-वितरण प्रणाली के बिक्रेता द्वारा दिसम्बर, 2020 एवं जनवरी, 2021 के अनाज का उठावं के बावजूद भी उपभोक्ताओं को उनके द्वारा वितरण नहीं किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त बिक्रेता के विरुद्ध संबंधित पदाधिकारी के पास शिकायत किया गया, जाँचोपरांत शिकायत सही पाया गया, इसके बावजूद भी आभीतक कोई कार्रवाई नहीं की गई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इसकी जाँ कराकर उक्त बिक्रेता पर कबतक कार्रवाई करने तथा उपभोक्ताओं को अनाज वितरण करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पेरापेट वॉल ऊँचा कराना

*2586. श्री अशोक कुमार (क्षेत्र संख्या-132 वारिसनगर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना शहर के बोरिंग रोग में राजेश पेट्रोल पंप के बगल से बोरिंग रोड को क्रॉस करने वाले सिवरेज नाला पर बने मात्र एक फीट ऊँचा पेरापेट वॉल नीचे होने के कारण आये दिन दुर्घटना होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार पटना शहर के बोरिंग रोड में राजेश पेट्रोल पंप के बगल में बने सिवरेज नाले के पेरापेट वॉल को ऊँचा कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

मुआवजा दिलाना

*2587. श्री राजकुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-144 मटिहानी)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिला के मटिहानी के कसा दियारा में किसानों के 295 एकड़ जमीन सरकार द्वारा एन० टी० पी० सी० को दिया गया है, परंतु उनके जमीन अधिग्रहण का मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार कसा दियारा के प्रभावित किसानों के लिये उचित मुआवजा देने की कार्रवाई करना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

Optimized by www.ImageOptimizer.net

दोषी पर कार्रवाई

*2588. श्री राम विशुन सिंह (क्षेत्र संख्या-197 जगदीशपुर)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीवान जिलान्तर्गत नवतन अंचल में जमीन की दाखिल-खारिज के वास्ते श्रीमती कल्याणी देवी, पति-श्री कामेश्वर तिवारी, ग्राम-मौजा-नवतन, थाना-नवतन द्वारा दिनांक 17 फरवरी, 2020 को ऑनलाईन आवेदन जिसका वाद सं० 1689, आर०-27/2019-20 है ;

(2) क्या यह बात सही है कि नवतन अंचलाधिकारी जो नवतन अंचल में दिनांक 10 अगस्त, 2020 को पदस्थापित हुये थे, उनके द्वारा उक्त वाद संख्या 1689 आर०-27/2019-20 को पिछले तिथि से दिनांक 10 मार्च, 2020 को खारिज कर दिया गया है, जिसकी शिकायत प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा जिलाधिकारी से की गयी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार इसकी जाँच कराकर दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई करते हुये उक्त वाद संख्या का निष्पादन करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना

*2589. श्री मुरारी प्रसाद गौतम (क्षेत्र संख्या-207 चेनारी)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दिनांक 4 दिसम्बर, 2020 को रोहतास जिले के नौहट्टा प्रखंड के पहाड़ पर स्थित चुनहट्टा गाँव के 4 लोगों की मौत दूषित पानी पीने के वजह से हो गयी थी तथा नागाटोली, रेहल गाँव एवं रोहतास प्रखंड क नावाडीह, कर्मा, मस्जिद मोड़ गाँव में भी आर्सेनिक एवं लौह युक्त जल की समस्या लंबे समय से है, जिससे वहाँ के लोगों को शुद्ध पेयजल नहीं मिल रहा, जिसके कारण उक्त गाँव के लोग बीमार हो रहे हैं, यदि हाँ, तो सरकार नौहट्टा प्रखण्ड के चुनहट्टा, नागाटोली, रेहल गाँव एवं रोहतास प्रखंड के नावाडीह, कर्मा, मस्जिद मोड़ में शुद्ध पेयजल कबतक मुहैया कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

दोषी पर कार्रवाई

*2590. श्री जितेन्द्र कुमार (क्षेत्र संख्या-171 अस्थावाँ)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नालंदा जिला के तत्कालीन जिला कृषि पदाधिकारी के अपर जिला में कृषि से संबंधित अनियमितता एवं घोटाला में संलिप्त होने के कारण उसकी जाँच त्रिस्तरीय समिति द्वारा 5 जनवरी, 2021 को की गयी है, जो सत्य पाया गया है, लेकिन अभीतक कोई कार्रवाई नहीं की गयी है, यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है ?

रसीद कटवाना

*2591. श्री फते बहादुर सिंह (क्षेत्र संख्या-212 डिहरी)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत डिहरी डालमियानगर नगर परिषद् स्थित बालगोविंद विधा, बारापत्थर मुहल्ला की जमीन खासमहल की जमीन है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त जमीन को लीज कर बंदोबस्ती के आधार पर रसीद काटा जाता था जिससे लीज की अवधि वर्ष 2003 में समाप्त होने के कारण उक्त जमीन का रसीद नहीं काटा जा रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त जमीन का लीज की अवधि को विस्तार करते हुये पुनः रसीद कटवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

योजना का लाभ

*2592. श्री मुकेश कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-27 बाजपट्टी)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2016-17 से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को आवास प्रदान करने का शुरूआत किया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत बाजपट्टी, नानपुर एवं बोरवाड़ा प्रखंडों में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को आवास प्रदान करने हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना ऐप प्लस से जी०ओ० टैगिंग कर सर्वे ऑनलाईन अपलोड मार्च 2019 तक करना था परंतु पोर्टल बंद कर दिये जाने के कारण उक्त प्रखण्डों के काफी लोग उक्त योजना के लाभ से वंचित हो गये ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त प्रखण्डों के छूटे हुये लोगों को पुनः जी०ओ० टैगिंग सर्वे ऑनलाइन करा के उक्त योजना का लाभ दिलाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सब्जी बाजार का निर्माण

*2593. श्री विजय कुमार खेमका (क्षेत्र संख्या-62 पूर्णियाँ)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ विधान सभा क्षेत्र सहित राज्य के अन्य भाग में हरी सब्जी की खेती काफी बड़े पैमाने पर होती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ विधान सभा क्षेत्र में सब्जी क्रय-विक्रय के लिये आधुनिक बाजार एवं स्टोरेज की व्यवस्था नहीं रहने के कारण सब्जी उत्पादक किसानों को काफी आर्थिक नुकसान होता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार सब्जी उत्पादक किसानों के हित में स्टोरेज सुविधा सहित आधुनिक सब्जी बाजार का निर्माण पूर्णियाँ विधान सभा क्षेत्र में कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक है । पूर्णियाँ विधान सभा क्षेत्र सहित राज्य के अन्य भागों में हरी सब्जी की खेती होती है।

(2) आंशिक स्वीकारात्मक है ।

(3) कृषक हितकारी योजना जैसे राष्ट्रीय बागवानी मिशन/मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना अन्तर्गत ग्रामीण बाजार/अपनी मण्डी (इकाई लागत 25 लाख), ए०सी० रिटेल आऊटलेट (इकाई लागत 15 लाख) एवं रिफर वैन (इकाई लागत 26 लाख) इत्यादि अवयव के तहत नियमानुसार आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं। प्रत्येक अवयव पर इकाई लागत का 50 प्रतिशत सहायतानुदान है।

लगान रसीद कटवाना

*2594. श्री मुकेश कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-27 बाजपट्टी)--दैनिक समाचार-पत्र में प्रकाशित शीर्षक ''लगान रसीद के लिये लगा रहे चक्कर'' के आलोक में क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि लगान रसीद के अभाव में सीतामढ़ी जिला के अंचल बाजपट्टी, नानपुर, बोखरा में रैयतों का लगान रसीद नहीं काटे जाने के कारण रैयतों को काफी कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त अंचलों में लगान रसीद उपलब्ध करा कर रैयतों का लगान रसीद काटने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--उत्तर अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि समाहर्ता, सीतामढ़ी से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार सीतामढ़ी जिला के प्रत्येक अंचल में लगान रसीद उपलब्ध है। अंचल स्तर पर भू-धारियों को लगान रसीद निर्गत किया जा रहा है ।

Optimized by www.ImageOptimizer.net

अतिक्रमण मुक्त कराना

*2595. श्री सैयद रूकनुद्दीन अहमद (क्षेत्र संख्या-57 बायसी)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अरवल जिला के करपी प्रखंड के ग्राम-मंझोपुर के आहर का 2 एकड़ 3 डिसमिल जमीन असामाजिक तत्वों द्वारा दो वर्ष पूर्व अतिक्रमित कर लिया गया है तथा उक्त अतिक्रमित आहर के एक हिस्से पर एक व्यक्ति द्वारा मकान भी बना लिया गया है, जबकि जल-जीवन हरियाली अभियान के तहत सरकार को आहर/पईन की संरक्षा करने की महत्वाकांक्षी योजना है तथा इस संबंध में जिलाधिकारी से भी शिकायत की गई है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त अतिक्रमित जमीन को कबतक मुक्त कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जल-जमाव से मुक्त कराना

*2596. श्रीमती विभा देवी (क्षेत्र संख्या-237 नवादा)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नवादा जिलान्तर्गत नवादा नगर में सिंवरेज सिस्टम विकसित नहीं रहने से नालियों में जल-जमाव बना रहता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार नवादा नगर में सिवरेज सिस्टम विकसित कर जल-जमाव से निजात दिलाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बीज उपलब्ध कराना

*2597. श्री प्रमोद कुमार सिन्हा (क्षेत्र संख्या-10 रक्सौल)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत प्रखंड रक्सौल एवं आदापुर नेपाल के तराई क्षेत्र में बसे होने के कारण तीव्र गति से पानी का बहाव आने के कारण उक्त प्रखंडों के किसानों का धान एवं अन्य फसल बर्बाद हो जाता है जिससे किसानों को आर्थिक क्षति होती है, यदि हाँ, तो सरकार तराई वाले क्षेत्र में बसे किसानों को पच्छात किस्म (लेट भेराईटी) की धान एवं फसलों के बीज कबतक उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक ।

(2) खरीफ के समय इस जिले में अगेती प्रभेद (Earlier Variety), मध्यम प्रभेद (Medium Variety) तथा पच्छेता प्रभेद (Late Variety) का धान बीज अनुज्ञप्तिधारी विक्रेताओं के पास आवश्यकतानुसार उपलब्ध रहता है । किसान अपनें आवश्यकतानुसार बीजों का क्रय कर खेती करते हैं । प्राकृतिक आपदा से नुकसान होने पर आकस्मिक फसल योजनान्तर्गत विभिन्न फसलों का बीज निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है । इसके अतिरिक्त राज्य योजनान्तर्गत मिनीकिट योजना में खरीफ मौसम में धान एवं अन्य फसलों का बीज उपलब्ध कराने का प्रावधान है ।

सड़क निर्माण कराना

*2598. श्री चेतन आनंद (क्षेत्र संख्या-22 शिवहर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि शिवहर जिलान्तर्गत शिवहर सदर अस्पताल जानेवाली सड़क जर्जर स्थिति में है जिससे रोगियों और आमलोगों को अस्पताल आने-जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त सड़क का निर्माण कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

Optimized by www.ImageOptimizer.net

जलापूर्ति कराना

*2599. श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव (क्षेत्र संख्या-90 मीनापुर)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिला अन्तर्गत मीनापुर प्रखंड के तुर्की पश्चिमी पंचायत में विभाग द्वारा निर्मित पानी टंकी से वार्ड नम्बर 1 में जलापूर्ति 5 वर्षों से बंद है तथा इसकी शिकायत जिलाधिकारी से की गयी है, यदि हाँ, तो क्या सरकार वार्ड नम्बर 1 में जलापूर्ति कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पैथोलोजिकल जाँच आरंभ कराना

*2600. श्री ललित कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-82 दरभंगा ग्रामीण)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के एक मात्र पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, पटना द्वारा पशुपालकों के लिये निःशुल्क पशुओं के खून, पेशाब, गोबर, दूध एवं अन्य तरह के पैथोलॉजिकल जाँच किया जा रहा है तथा पूरे राज्य के सभी तरह के कल्याणकारी योजनाओं का तकनीकी संचालन एवं मूल्यांकन करती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि दरभंगा में पशुपालन विभाग का "पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान" की एक नैदानिक प्रयोगशाला इकाई (पैथोलॉजिकल टेस्ट यूनिट) स्थापित है, जो मृतप्राय हो चुकी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो पशु स्वास्थ्य उत्पादन, दरभंगा (LRS, दरभंगा) को पटना के पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान के तर्ज पर पूर्णरूप से विकसित कर निःशुल्क पैथोलॉजिकल जाँच आरंभ कराकर पशुपालकों को सुविधा उपलब्ध कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

मानदेय का पुनरीक्षण

*2601. श्री महबूब आलम (क्षेत्र संख्या-65 बलरामपुर)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के संविदा कर्मियों की विभिन्न सुविधाओं पर विचार देने हेतु गठित उच्चस्तरीय समिति की अनुशंसाओं को स्वीकार कर बिहार सरकार के संकल्प संख्या 12534, दिनांक 17 सितम्बर, 2018 निर्गत किया है, जिसमें पारिश्रमिक/मानदेय बढ़ाने संबंधी संशोधन की अनुशंसा की गई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त संकल्प के निर्गत हुये 25 माह बीत जाने के बाद भी बन्दोबस्त एवं चकबन्दी कार्यालयों में संविदा नियोजित कर्मियों का पारिश्रमिक मानदेय में दिनांक 23 जून, 2016 के बाद भी बढ़ोतरी नहीं की गई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बन्दोबस्त ओर चकबंदी कार्यालयों में कार्यरत संविदा कर्मियों को उक्त संकल्प में की गई अनुशंसा से संबंधित लाभ कबतक देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

योजना लागू कराना

*2602. श्री कृष्णनन्दन पासवान (क्षेत्र संख्या-13 हरसिद्धि)--क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार के किसानों के लिये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वर्ष 2018 में बंद कर मुख्यमंत्री फसल बीमा योजना वर्ष 2018 में लागू कर दी गई है जबकि दूसरे प्रदेशों में उक्त फसल बीमा योजना लागू है, यदि हाँ, तो क्या सरकार कबतक राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

Optimized by www.ImageOptimizer.net

दोषी पर कार्रवाई

*2603. श्रीमती रेखा देवी (क्षेत्र संख्या-189 मसौढ़ी)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत मसौढ़ी नगर परिषद् मसौढ़ी के प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत 2017 से 2020 तक कुल 1894 लाभुक के आवास निर्माण किया जाना था, जिसमें से 17 लाभुकों के आवास निर्माण हेतु राशि उपलब्ध है, यदि हाँ, तो क्या सरकार शेष बचे लाभुकों के आवास निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*2604. श्री जनक सिंह (क्षेत्र संख्या-116 तरैया)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत ईसुआपुर अंचल के लौवा पंचायत के ग्राम-साढ़वारा में पर्यटन स्थल साढ़वाला शिव मंदिर जिसके प्रागंण का उपयोग सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए किया जाता है कुछ भाग पर अतिक्रमण व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है यदि हाँ, तो सरकार उक्त जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए कबतक कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

दोषी पर कार्रवाई

*2605. डॉ0 सुनील कुमार (क्षेत्र संख्या-172 बिहारशरीफ)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिला के मुख्यालय बिहारशरीफ को स्मार्ट सिटी योजना के तहत विकसित करने की योजना है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बिहारशरीफ शहर के कुल 46 वार्ड में से शहर के बीचो-बीच मात्र 16 वार्डों में ही स्मार्ट सिटी का कार्य ड्रेनेज सिस्टम, जाम से मुक्ति, पेयजल की व्यवस्था आदि कराने का प्रावधान किया जा रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार शहर के सभी 46 वार्डों में समान रूप से स्मार्ट सिटी के तहत कार्य कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

दोषी पर कार्रवाई

*2606. श्रीमती गायत्री देवी (क्षेत्र संख्या-25 परिहार)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतालने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के सोनबरसा प्रखंड के इन्द्रावा पंचायत अन्तर्गत ग्राम-सहोरवा में बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 के अन्तर्गत वाद संख्या 14/88-89 के द्वारा मखन पासवान, पिता-मुन्नी पासवान, ग्राम-सहोरवा को खाता संख्या 212, खेसरा संख्या 1027, रकवा 53 डी0 जमीन को बन्दोबस्ती कर पर्चा दिया गया था, जिसका (पर्चा) माल गुजारी भी कट रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त जमीन पर वर्ष 2020 से मनरेगा से जबरन तालाब खोद कर गरीब को बेदखल कर दिया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त पर्चाधारियों को वाजिब हक दिलाते हुए दोषी पदाधिकारी एवं कर्मचारी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

Optimized by www.ImageOptimizer.net

प्रभारी मंत्री--(1) उत्तर स्वीकारात्मक है । समाहर्ता, सीमामढ़ी से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार प्रखंड सोनबरसा अन्तर्गत ग्राम-सहोरवा में बिहार भूमि सुधार अधिनिमय, 1950 के अन्तर्गत वाद संख्या 14/88-89 के द्वारा मखन पासवान, पिता-मुन्नी पासवान, ग्राम-सहोरवा को खाता संख्या 212, खेसरा संख्या 1027, रकवा-53 डी0 जमीन को बन्दोबस्त किया गया था, जिसका माल गुजारी कट रहा है ।

(2) उत्तर अस्वीकारात्मक है । वर्ष 2020 में मनरेगा से इस पर तालाब का निर्माण नहीं कराया गया है। भूमि पर्चाधारियों के कब्जे में है ।

(3) उपर्युक्त कॉडिका-(2) में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है। बेदखली का कोई मामला नहीं है।

जाँच कराना

*2607. श्री वीरेन्द्र सिंह (क्षेत्र संख्या-234 वजीरगंज)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत बुडकों द्वारा मानपुर बस स्टैंड का निर्माण जय माता दी रोड कंस्ट्रक्शन द्वारा करया जा रहा है जिसका समय सीमा दिनांक 31 अगस्त, 2020 को समाप्त हो गया परंतु निर्माण कार्य अभी भी अधूरा है, यदि हाँ, तो सरकार इसकी जाँच कराकर दोषी संवेदक पर उचित कार्रवाई करना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

निराकरण कराना

*2608. श्री सतीश कुमार (क्षेत्र संख्या-218 मखदुमपुर)--क्या मंत्री, खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में पॉश मशीन से राशन कार्डधारियों को राशन वितरण किया जा रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि पॉश का लिंक नहीं होना, सर्वर फेल होना, मशीन बन्द होने या वायरस ग्रसित होने आदि कारणों से गरीब मजदूर एंव कामकाजी दिनभर कतारबद्ध रहते हैं तथा उन्हें अनाज भी नहीं मिल पाता है, तथा वे अपने दैनिक कार्य से वंचित हो जाते हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त समस्याओं का निराकरण कर कार्डधारियों को राहत प्रदान करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक ।

(2) अस्वीकारात्मक । PoS यंत्र तथा आधार-आधारित जन-वितरण प्रणाली सही तरीके से कार्य कर रहे हैं और छुट-पुट तकनीकी समस्याओं का निदान तुरंत किया जाता है। राशन से वंचित रहने की शिकायत कहीं से नहीं आई है।

(3) उपर्युक्त कॉडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

Optimized by www.ImageOptimizer.net

सुविधा उपलब्ध कराना

*2609. श्री विनय कुमार चौधरी (क्षेत्र संख्या-80 बेनीपुर)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला अन्तर्गत बिरौल में स्थित इंदेश्वर नाथ बाबा, शिव मंदिर देकुली धाम बिरौल, दरभंगा में माघ कृष्ण पक्ष चतुर्दशी (नरक निवारण चतुर्दशी) को लगने वाले विराट मेले में मूलभूत सुविधा उपलब्ध नहीं रहने के कारण लोगों को काफी असुविधा होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त स्थान पर लगने वाले मेलों में मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सड़क का निर्माण

*2610. श्री राजेश कुमार गुप्ता (क्षेत्र संख्या-208 सासाराम)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला के सासाराम शहर में वार्ड नं० 34 स्लम एरिया है, जिसमें मोहल्ला डिलिया स्लम एरिया, जीटी रोड से अशोक कुमार सिंह के घर होते हुये श्मशान घाट तक रोड एवं नाली नहीं है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त सड़क को नाली सहित पी०सी०सी० कबतक कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

सड़क निर्माण कराना

*2611. श्री अचमित ऋषिदेव (क्षेत्र संख्या- 47 रानीगंज)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत रानीगंज प्रखंड के ग्राम पंचायत हसनपुर वार्ड नं० 16 में जी०टी०एस०एन०वाई० सड़क से प्रारंभ होकर महादलित टोला तक 700 फीट में सम्पर्क सड़क नहीं है, यदि हाँ, तो क्या सरकार जमीन का अधिग्रहण कर सम्पर्क सड़क निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अतिक्रमण मुक्त करना

*2612. श्री ऋषि कुमार (क्षेत्र संख्या-220 ओबरा)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत दाउदनगर में बिहार सरकार की जमीन जिसका खाता संख्या 576, प्लॉट नं० 214, मौजा दाउदनगर, रकबा 1.61 एकड़ है, जिसे असामाजिक तत्वों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त जमीन को कबतक अतिक्रमण से मुक्त कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पदस्थापित कराना

*2613. श्री सउद आलम (क्षेत्र संख्या-53 ठाकुरगंज)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत दिघलबैंक प्रखंड के अंचलाधिकारी का पद दो वर्षों से रिक्त है, जिससे भूमि संबंधी कार्यों के निष्पादन में ग्रामीणों को काफी कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त अंचल में अंचलाधिकारी को पदस्थापित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

Optimized by www.ImageOptimizer.net

प्रभारी मंत्री--अस्वीकारात्मक है । विभागीय अधिसूचना सं० 345(3)/रा०, दिनांक 27 जून, 2018 द्वारा श्री अरूण कुमार को अंचल अधिकारी, दिघलबैंक, किशनगंज के रूप में पदस्थापित किया गया था तथा विभागीय अधिसूचना सं० 193 (3)/रा, दिनांक 30 जून, 2020 द्वारा श्री अरूण कुमार की सेवा उनके पैतृक विभाग (श्रम संसाधन विभाग) को वापस कर दी गयी थी। तत्पश्चात् विभागीय अधिसूचना सं० 202(3)/रा०, दिनांक 24 जुलाई, 2020 द्वारा श्रीमती रश्मि राज स्वेता को अंचल अधिकारी, दिघलबैंक, किशनगंज के रूप में पदस्थापित किया गया है। समाहर्ता, किशनगंज से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार श्रीमती स्वेता दिनांक 16 सितम्बर, 2020 से अबतक चिकित्सीय अवकाश पर हैं। कार्यहित में प्रखंड विकास पदाधिकारी, दिघलबैंक को अतिरिक्त प्रभार सौंप कर भूमि संबंधी कार्यों का निष्पादन कराया जा रहा है।

अस्पताल भवन का निर्माण

*2614. श्री जितेन्द्र कुमार राय (क्षेत्र संख्या-117 मढ़ौरा)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत मढ़ौरा में अनुमंडल पशु अस्पताल का अपना भवन नहीं होने के कारण पशुओं की चिकित्सा में काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार उपरोक्त पशु अस्पताल के भवन का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पटना :
दिनांक 18 मार्च, 2021 (ई०)।

राज कुमार सिंह,
सचिव,
बिहार विधान सभा ।

बि०स०मु० - 133 (एल०ए०), 2020-21 डी०टी०पी० -550

Optimized by www.ImageOptimizer.net

सप्तदश

बिहार विधान सभा

द्वितीय सत्र

तारांकित प्रश्न

वर्ग- 4

वृहस्पतिवार, तिथि 27 फाल्गुन, 1942 (श०) / 18 मार्च, 2021 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या- 02

(1) कृषि विभाग	..	01
(2) लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	..	01
कुल योग	..	02

प्रतिमा स्थापित करना

'अ' *2005. **श्री इजहारूल हुसैन (क्षेत्र संख्या-54 किशनगंज)**-- क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत पोठिया प्रखण्ड के रायपुर पंचायत में स्थित कृषि विश्वविद्यालय का नाम पूर्व राष्ट्रपति डॉ० अब्दुल कलाम के नाम पर की गई है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कृषि विश्वविद्यालय के प्रांगण में डॉ० अब्दुल कलाम की प्रतिमा स्थापित कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

योजना को पूर्ण कराना

'ब' *2197. **श्री आलोक कुमार मेहता (क्षेत्र संख्या-134 उजियारपुर)**-- क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के विद्यापति नगर प्रखंडान्तर्गत बरहौना में मिनी जलापूर्ति योजना से 2016 में बोरिंग हुआ परन्तु अबतक भवन एवं पाइप लाइन का निर्माण नहीं हुआ, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त मिनी जलापूर्ति योजना को पूर्ण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नोट:- 'अ' दिनांक-16.03.2021 को सदन द्वारा शिक्षा विभाग से कृषि विभाग में स्थानांतरित ।

'ब' दिनांक-17.03.2021 को सदन द्वारा लघु जल संसाधन विभाग से लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में स्थानांतरित

पटना :
दिनांक-18 मार्च, 2021 (ई०) ।

राज कुमार सिंह
सचिव,
बिहार विधान सभा,पटना ।